संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)

(For the state of Goa and Union Territories)

ANNUAL REPORT 2019-2020

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
(गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए)

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)
JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (for the State of Goa and Union Territories)
सत्यमेव जयते

वित्तीय वर्ष 2019–20 की 12वीं वार्षिक रिपोर्ट (विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105 के अंतर्गत)

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
(गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए)
तीसरा एवं चौथा तल, प्लॉट नं. 55–56,
सेक्टर–18, उद्योग विहार, फेज–IV, गुरूग्राम–122015 (हरियाणा)
वेबसाइटः www.jercuts.gov.in
ई–मेलः secy-jercuts@gov.in

विषय सूची

अनुबंध

संक्षिप्त रूप 4

अध्यक्ष महोदय की डेस्क से 5–6

वित्त वर्ष 2019–20 के प्रमुख कार्यकलाप

1. संगठनात्मक ढांचा और प्रशासन

1.1 आयोग 7
1.2 आयोग के कार्य और कर्तव्य 8–9
1.3 आयोग के सदस्यों का प्रोफाइल 10–11
1.4 आयोग का कार्यालय 12
1.5 आयोग की संगठनात्मक संरचना 13
1.6 जन सुनवाई 14
1.7 वेबसाइट 14
1.8 प्रशिक्षण 15
1.9 कंप्यूटरीकरण 16
1.10 सूचना का अधिकार 16

2. वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान आयोग के कार्यकलाप

2.1 विनियम 17
2.2 वित्त वर्ष 2020–21 के लिए टैरिफ तथा वार्षिक राजस्व आवश्यकता का निर्धारण 18
2.3 जेईआरसी के क्षेत्राधिकार में विद्युत कंपनियों के महत्वपूर्ण मानक 19
2.4 राज्य सलाहकार समिति की बैठकें 20
2.5 वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान याचिकाओं की स्थिति 21
2.6 विवादों और मतभेदों का अधिनिर्णय 22

3. आयोग के वार्षिक लेखा 24–27

4. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना का विवरण 29

5. वित्त वर्ष 2020–21 की कार्य–सूची 29

अनुबंध

अनुबंध–1 उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम का विवरण 30

अनुबंध–2 वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान आयोग द्वारा आयोजित जन सुनवाई/अन्य सुनवाई का विवरण 31–32

अनुबंध–3 याचिका शुल्क का विवरण 33

अनुबंध–4 31.03.2020 के अनुसार विनियमों की सूची 34

संक्षिप्त रूप

एसीओएस	आपूर्ति की औसत लागत
एआरआर	वार्षिक राजस्व आवश्यकता
सीईआरसी	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग
सीजीआरएफ	उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम
डीएनएचपीडीसीएल	दादरा और नगर हवेली विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
ईडी	विद्युत विभाग
एफओआर	विनियामकों का फोरम
एफपीपीसीए	ईंधन और बिजली खरीद मूल्य समायोजन
एफवाई	वित्तीय वर्ष
जीओआई	भारत सरकार
आईआईटी	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
जेईआरसी	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए)
एमओयू	समझौता–ज्ञापन
एनएचपीसी	नेशनल हाइड्रो पॉवर कॉर्पोरेशन
पीएफसी	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन
पीपीसीएल	पुदुचेरी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
पीपीए	विद्युत क्रय करार
पीएफसी	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम
आरईसी	ग्रामीण विद्युतीकरण कॉर्पोरेशन
आरपीओ	नवीकरणीय क्रय दायित्व
आरटीआई	सूचना का अधिकार
एसएसी	राज्य सलाहकार समिति
टीएंडडी	पारेषण और वितरण

अध्यक्ष महोदय की डेस्क से

सत्यमेव जयते

श्री एम. के. गोयल
अध्यक्ष

स्थायी दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए एक कुशल और विश्वसनीय विद्युत बुनियादी ढांचे का होना महत्वपूर्ण आवश्यक शर्तों में से एक है। भारत में विद्युत क्षेत्र, मुख्य रूप से थर्मल विद्युत उत्पादन द्वारा संचालित होता है, जो वर्ष दर वर्ष कई गुना बढ़ गया है और यह मुख्य रूप से उद्योग, सेवा, वाणिज्यिक और अन्य क्षेत्रों के विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित हुआ है। गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) का गठन अगस्त, 2008 में इन क्षेत्रों में बिजली क्षेत्र का विनियमित और क्रमबद्ध विकास करने के लिए किया गया था। हालांकि ये क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से छोटे हैं, फिर भी औद्योगिकीकरण (दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव और पुडुचेरी) या आधुनिक शहरी विकास (चंडीगढ़) और/या पर्यटन (गोवा और अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप और दीव सहित) के क्षेत्र में व्यापक योगदान देते हैं। द्वीप क्षेत्र अर्थात् अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप भी रणनीतिक क्षेत्र हैं जहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इस संदर्भ में, गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग इन क्षेत्रों में विद्युत क्षेत्र का विकास करने तथा विभिन्न हितधारकों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं में संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण विनियामक भूमिका निभाता है।

आयोग अगस्त, 2008 से अस्तित्व में आया था और यह अधिनियम के तहत उसे सौंपी गई जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्रयासरत है और अपने इस सफर में इसने सभी हितधारकों और उपभोक्ताओं के हितों में सामंजस्य बनाते हुए उपयोगिताओं के निष्पादन की निगरानी की भूमिका को प्रभावी ढंग से निभाया है।

यह वर्ष 2019–20 के दौरान आयोग की गतिविधियों की 12वीं वार्षिक रिपोर्ट है।

आयोग ने वर्ष के दौरान बिजली क्षेत्र में दक्षता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा बिजली उपयोगिताओं के निष्पादन और वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार करने के लिए कदम उठाए हैं। आयोग ने इस वित्तीय वर्ष में सभी हितधारकों के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए (क) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से शुल्क निर्धारण के लिए निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2019; (ख) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (नेट मीटरिंग पर आधारित सौर पीवी ग्रिड इंटरएक्टिव प्रणाली) विनियम, 2019; (ग) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम और लोकपाल) विनियम, 2019 को अधिसूचित किया है। आयोग राज्य सलाहकार समिति की बैठकों के माध्यम से उपभोक्ता संगठनों, उद्योग संघों और अन्य संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ समय–समय पर संवाद करता है। इस वित्तीय वर्ष में आयोग ने अपनी 15वीं राज्य सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की, जिसका विवरण बाद के अध्यायों में दिया गया है। इसके अलावा, भारत सरकार की हरित पहल को ध्यान में रखते हुए, आयोग स्वतः सुनवाई करके और कंपनियों को अपने आरपीओ लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कहकर प्रदेशों में सभी वितरण कंपनियों के नवीकरणीय क्रय दायित्वों (आरपीओ) की गहन निगरानी कर रहा है। इसके अलावा, इस तथ्य को देखते हुए कि अधिकांश क्षेत्र पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील और नाजुक हैं, आयोग लागत के आधार पर अपने वार्षिक सामान्य टैरिफ आदेशों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं को प्रोत्साहित करता है।

अंत में, मैं बिजली वितरण कंपनियों, उपभोक्ताओं और उपभोक्ता संगठनों, राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों और अन्य हितधारकों को उनके बहुमूल्य सुझावों के लिए बधाई देता हूं और उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं जिन्होंने अपने तर्कसंगत, संतुलित टैरिफ आदेशों के निर्धारण और अन्य विनियामक गतिविधियों में आयोग की मदद की।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, आयोग को संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए) की 12वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बेहद खुशी हो रही है और वह अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में सभी हितधारकों से निरंतर सहयोग की अपेक्षा करता है।

1. संगठनात्मक ढांचा और प्रशासन

1.1 आयोग

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 83 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने दिल्ली को छोड़कर सभी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 'संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग' नामक एक दो सदस्यीय (अध्यक्ष सहित) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग, जिसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित था, का गठन किया, जैसा कि दिनांक 2 मई, 2005 की अधिसूचना सं. 23/52/2003–आरएंडआर द्वारा अधिसूचित किया गया। बाद में, गोवा राज्य के शामिल होने से आयोग को 'गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग' के नाम से जाना जाने लगा जिसे दिनांक 30 मई, 2008 की अधिसूचना सं. 23/52/2003–आरएंडआर (खंड–प्प) द्वारा अधिसूचित किया गया था। गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग ने अगस्त 2008 से कार्य करना आरंभ किया। आयोग का कार्यालय वर्तमान में हरियाणा के गुड़गांव नगर में एक किराए के भवन में अवस्थित है।

वर्ष के दौरान आयोग ने अपने क्षेत्राधिकार में गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में एक उचित, पारदर्शी और निष्पक्ष विनियामक प्रक्रिया स्थापित करने का प्रयास किया है। आयोग की 11वीं वार्षिक रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान आयोग की गतिविधियों को प्रस्तुत करती है।

आयोग के पास, विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत किसी जांच अथवा कार्यवाही के प्रयोजन से वही शक्तियाँ हैं जो अधिनियम की धारा 94 की उप–धारा (1) के अंतर्गत सूचीबद्ध विषयों के संबंध में दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं।

आयोग के समक्ष चलने वाली सभी कार्यवाहियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थों के अंतर्गत न्यायिक कार्यवाहियां माना जाता है और दंड संहिता प्रक्रिया, 1973 की धारा 345 और 346 के प्रयोजन के लिए आयोग को एक सिविल न्यायालय माना जाता है। आयोग को विद्युत उत्पादन कंपनियों और लाइसेंस जारीकर्ताओं के बीच उत्पन्न होने वाले सभी विवादों का निर्णय करने अथवा इनकी मध्यस्थता करने और इनका निपटान करने के लिए मध्यस्थ(थों) को मनोनीत करने का पूरा अधिकार है।

1.2 आयोग के कार्य

अधिदेश

विद्युत अधिनियम, 2003 का उद्देश्य बिजली के उत्पादन, विकास, वितरण, व्यापार और उपयोग से संबंधित कानूनों को समेकित करना और आम तौर पर बिजली उद्योग के विकास के हित में कदम उठाना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और सभी क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति करना, बिजली दरों को तर्कसंगत बनाना, सब्सिडी के बारे में पारदर्शी नीतियां सुनिश्चित करना, दक्षता और पर्यावरण अनुकूल नीतियों को बढ़ावा देना, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण का गठन, विनियामक आयोग और विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना करना है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के साथ–साथ बिजली आपूर्तिकर्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए खुले, गैर–भेदभावपूर्ण, प्रतिस्पर्धी, व्यावसायिक परिवेश में बिजली क्षेत्र के विकास के अनुरूप ढांचा तैयार करना है। इस संदर्भ में, विद्युत अधिनियम में परिकल्पित उद्देश्यों को साकार करने के लिए आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण है।

आयोग को अधिदेशित कार्य

विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, जेईआरसी गोवा राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में दक्ष और आर्थिक रूप से व्यवहार्य विद्युत प्रणाली बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी को पूरा करते हुए सभी हितधारकों के हितों को ध्यान में रखती है, सस्ती दरों पर बिजली की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करती है तथा गोवा राज्य और केंद्रशासित

प्रदेशों में लाइसेंसधारियों और उत्पादन कंपनियों के हितों की रक्षा करने और उपभोक्ताओं को उचित सौदा प्रदान करने के लिए, पारदर्शिता, जवाबदेही, समानता के सिद्धांतों से निर्देशित होते हुए अपने कार्यों का निर्वहन करती है। उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, आयोग को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1) के तहत निम्नलिखित कार्य करने का अधिदेश दिया गया है–

क) राज्य के भीतर बिजली, थोक बिक्री, थोक या खुदरा, जैसा भी मामला हो, के उत्पादन, आपूर्ति, पारेषण और परिवहन के लिए टैरिफ का निर्धारणः

बशर्ते कि जहां धारा 42 के तहत उपभोक्ताओं की किसी श्रेणी को खुली उपलब्धता प्रदान की गई हो, वहां राज्य आयोग उपभोक्ताओं की उक्त श्रेणी के लिए केवल परिवहन शुल्क और उस पर अधिभार, यदि कोई हो, का निर्धारण करेगा;

ख) बिजली की खरीद और वितरण लाइसेंसधारियों की खरीद प्रक्रिया को विनियमित करना, जिसमें राज्य के भीतर वितरण और आपूर्ति के लिए बिजली की खरीद संबंधी समझौतों के माध्यम से जिस मूल्य पर बिजली को उत्पादन कंपनियों या लाइसेंसधारियों या अन्य स्रोतों से खरीदा जाएगा, शामिल होगा;

ग) बिजली के अंतर–राज्यीय पारेषण और परिवहन की सुविधा;

घ) ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी, वितरण लाइसेंसधारी और बिजली व्यापारियों के रूप में कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर उनके प्रचालनों के संबंध में लाइसेंस जारी करना;

ड.) किसी भी व्यक्ति को बिजली की ग्रिड और बिक्री के साथ कनेक्टिविटी के लिए उपयुक्त उपाय प्रदान करके ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से बिजली के सह–उत्पादन और उत्पादन को बढ़ावा देना, और ऐसे स्रोतों से बिजली की खरीद के लिए, किसी वितरण लाइसेंसधारी के क्षेत्र में बिजली की कुल खपत का एक प्रतिशत निर्दिष्ट करना;

च) लाइसेंसधारियों, और उत्पादक कंपनियों के बीच विवादों पर निर्णय लेना और किसी विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजना;

छ) इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए शुल्क लगाना;

ज) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्दिष्ट भारतीय विद्युत ग्रिड कोड (आईईजीसी) के अनुरूप राज्य ग्रिड कोड का उल्लेख करना;

झ) लाइसेंसधारियों द्वारा गुणवत्ता, निरंतरता और सेवा की विश्वसनीयता के संबंध में मानकों को निर्दिष्ट या लागू करना;

ट) यदि आवश्यक हो, तो बिजली की अंतर–राज्यीय ट्रेडिंग में ट्रेडिंग मार्जिन का निर्धारण करना;

ठ) इस अधिनियम के तहत उन्हें सौंपे गए ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करना।

अधिनियम की धारा 86(2) के अनुसार, आयोग राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार को निम्नलिखित सभी मामलों में या किसी एक मामले पर सलाह देगाः–

i) बिजली उद्योग की गतिविधियों में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना;

ii) बिजली उद्योग में निवेश को बढ़ावा देना;

iii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में बिजली उद्योग का पुनर्गठन और पुनर्संरचना;

iv) बिजली के उत्पादन, पारेषण, वितरण और व्यापार से संबंधित मामले या सरकार द्वारा संयुक्त आयोग को संदर्भित अन्य कोई मामला।

धारा 86(3) के अनुसार, आयोग अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अपने कार्यों का निर्वहन करते हुए पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा; और, धारा 86(4) के अनुसार, अपने कार्यों के निर्वहन में आयोग को विद्युत अधिनियम, 2003, राष्ट्रीय विद्युत नीति, राष्ट्रीय विद्युत योजना और शुल्क नीति द्वारा निर्देशित होगा।

7 जनवरी, 2020 को पुडुचेरी में जन सुनवाई

1.3 आयोग के सदस्यों का प्रोफाइल

वर्तमान वार्षिक रिपोर्ट की अवधि के दौरान आयोग में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

श्री एम.के. गोयल
अध्यक्ष

श्री एम.के. गोयल ने 17 फरवरी, 2017 को गोवा राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था।

कानपुर विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर श्री गोयल को विभिन्न विद्युत क्षेत्रों का 37 वर्ष से अधिक का अनुभव है। जेईआरसी में कार्यभार ग्रहण करने से पहले, वे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे, जो एक नवरत्न पीएसयू है और देश का सबसे बड़ा एनबीएफसी है। उन्हें पीएफसी में पॉवर फाइनेंसिंग का लगभग 28 वर्ष, और 1988 में पीएफसी में शामिल होने से पहले एनएचपीसी में 9 वर्ष का बिजली उत्पादन का अनुभव है। उन्हें पीएफसी में बोर्ड स्तर का 9 वर्ष से अधिक का अनुभव है।

सीएमडी, पीएफसी के रूप में उनके नेतृत्व में, विद्युत क्षेत्र में कड़ी चुनौतियां होने के बावजूद, पीएफसी ने वित्तीय और परिचालन निश्पादन में बढ़ोतरी सहित व्यापार में निरंतर वृद्धि दर्ज की है। परिणामस्वरूप, 31.03.2016 को निवल मूल्य (सभी रिजर्व) के आधार पर पीएफसी देश में सबसे बड़ा एनबीएफसी है और डीपीई सर्वेक्षण 2016 के अनुसार लाभ अर्जित करने वाला 5वां सबसे बड़ा पीएसयू है। उन्होंने वित्त वर्ष 2013–14 और वित्त वर्ष 2014–15 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित सभी समझौता–ज्ञापन लक्ष्यों की प्राप्ति भी सुनिश्चित की है, जिसमें सीएमडी के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान पीएफसी को लगातार 2 वर्ष तक 1.00 का उच्चतम समझौता–ज्ञापन अंक प्राप्त हुआ था।

उन्होंने भारत सरकार की पहल की अगुवाई करते हुए विभिन्न विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाया, जिसमें एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस), उदय, 24X7 सभी के लिए बिजली आदि शामिल थे। उन्होंने यूएमपीपी, आईटीपी, यूएमपीपी बोली दस्तावेजों की समीक्षा आदि जैसी भारत सरकार की अन्य पहलों के कार्यान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उन्होंने नीतिगत और विनियामक क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न समितियों में महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में बिजली क्षेत्र और वित्तीय उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है जैसे (1) नीतिगत मुद्दों पर सीईआरसी को सलाह देने के लिए 'केंद्रीय सलाहकार समिति' (सीएसी) (2) सीईए द्वारा गठित राष्ट्रीय विद्युत योजना के लिए 'निधियों की आवश्यकता', (3) विनियामक परिवर्तनों आदि के लिए आरबीआई के साथ वित्त–पोषण के मुद्दों को उठाने के लिए 'वित्त–पोषण के बुनियादी ढांचे पर उच्च स्तरीय समिति'।

श्रीमती नीरजा माथुर
सदस्य

वर्ष के दौरान, श्रीमती नीरजा माथुर ने दिनांक 26.08.2015 से संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए) के सदस्य पद का कार्य भार संभाला तथा 07.12.2019 को 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के कारण कार्यकाल पूरा होने पर सेवानिवृत्त हुए। इससे पहले, श्रीमती नीरजा माथुर 01.11.2013 से 31.12.2014 तक केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के अध्यक्ष पद पर रही थीं। सीपीईएस कैडर की अधिकारी, श्रीमती नीरजा माथुर जुलाई 1979 में संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सहायक निदेशक के रूप में सीईए में शामिल हुई थी और उनके पास सीईए में विभिन्न पदों पर अपने व्यापक और विविध कार्य अनुभव के दौरान विद्युत क्षेत्र के विकास में लगभग 34 वर्षों का बहुआयामी अनुभव है। श्रीमती नीरजा माथुर आईआईटी, रूड़की से स्नातक डिग्री तथा आईआईटी, दिल्ली से एम.टेक डिग्री के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की विधा में एक तकनीकी प्रोफेशनल हैं।

विद्युत प्रणाली संरक्षण और इंस्ट्रूमेंटेशन तथा पारेषण योजनाओं के क्षेत्र में आरंभिक कार्यकाल के दौरान, श्रीमती नीरजा माथुर ने विद्युत क्षेत्र में योजना, लोड डिस्पेच और दूरसंचार सुविधाओं के क्षेत्र में व्यापक रूप से कार्य किया। समेकित संसाधन योजना प्रभाग में निदेशक और मुख्य अभियंता के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, श्रीमती नीरजा माथुर अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों प्रकार के उत्पादन योजना और लोड पूर्वानुमान से संबद्ध रहीं। देश में समेकित संसाधन नियोजन के लिए पंचवर्षीय योजना अवधियों के लिए राष्ट्रीय विद्युत योजना और कार्यकारी समूह रिपोर्टें तैयार करने में वे काफी सक्रिय रहीं। उन्होंने विस्तृत रूप से 11वीं योजना और 12वीं और 13वीं योजना के परिप्रेक्ष्य में अप्रैल 2007 में प्रकाशित राष्ट्रीय विद्युत योजना तैयार करने में कारगर भूमिका अदा की। इसके बाद श्रीमती माथुर ने राष्ट्रीय विद्युत योजना के गठन का भी मार्गदर्शन किया है, जिसका प्रकाशन किया जा रहा है जिसमें 12वीं योजना का विस्तृत ब्यौरा तथा 13वीं और 14वीं योजनाओं की भावी रूपरेखा शामिल है। प्रचालन निगरानी प्रभाग के मुख्य अभियंता के रूप में, उन्हें देश में विद्युत स्टेशनों की ईंधन निगरानी और ईंधन की उपलब्धता से संबंधित मुद्दों के समाधान का कार्य सौंपा गया।

श्रीमती नीरजा माथुर ने ग्रिड प्रबंधन, वितरण प्रणाली कार्यशीलता और उत्पादन इकाइयों के प्रचालन निष्पादन की जिम्मेदारी के साथ 1 मार्च, 2013 से सदस्य (ग्रिड प्रचालन एवं वितरण), सीईए और भारत सरकार के पदेन अपर सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। 1 नवम्बर 2013 से सीईए के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल में, श्रीमती नीरजा माथुर पूर्णरूप से देश के विद्युत क्षेत्र के सभी पहलुओं के समग्र नियोजन और समन्वय में शामिल रहीं। उन्होंने उत्पादन क्षमता बढ़ाने और वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करने के साथ ही पारेषण प्रणाली के अनुरूप विकास को सुविधाजनक बनाने पर जोर दिया।

सीईए के अध्यक्ष के पद से संलग्न जिम्मेदारियों के भाग रूप में, श्रीमती नीरजा माथुर केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) के महत्वपूर्ण मामलों से, सीईआरसी की पदेन सदस्य के रूप में जुड़ी रही थीं। अपनी व्यावसायिक कौशल की वजह से, वे विद्युत क्षेत्र से संबद्ध महत्वपूर्ण समितियों/समूहों की अध्यक्ष/सदस्य रही हैं।

1.4 आयोग का कार्यालय

आयोग प्लॉट नं. 55–56, तीसरी और चौथी मंजिल, उद्योग विहार–प्ट, सेक्टर–18, गुरुग्राम, हरियाणा में किराए के परिसर के माध्यम से कार्य कर रहा है। आयोग की अपनी वेबसाइट (www.jercuts.gov.in) है, जिसका इसके सचिवालय द्वारा नियमित रूप से रखरखाव और अपडेट किया जाता है। इस वेबसाइट का प्रयोग अनुसूचियों की सुनवाई करने, समाचार, अद्यतन सूचना, अवधारणा पत्रों पर टिप्पणियां आमंत्रित करने, विनियमों, याचिकाओं और अधिसूचित विनियमों को अपलोड करने, आयोग के आदेश आदि के लिए किया जाता है। यह उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरमों और लोकपाल पर उपभोक्ताओं को जानकारी भी प्रदान करता है और उनका मार्गदर्शन करता है।

11 जून, 2020 को जेईआरसी कार्यालय में ड्राफ्ट सोलर पीवी ग्रिड कनेक्टेड–नेट मीटरिंग और अक्षय ऊर्जा विनियम, 2019 पर जन सुनवाई

11 जून, 2020 को जेईआरसी कार्यालय में ड्राफ्ट सोलर पीवी ग्रिड कनेक्टेड–नेट मीटरिंग और अक्षय ऊर्जा विनियम, 2019 पर जन सुनवाई

1.5 आयोग की संगठनात्मक संरचना

स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या के आधार पर संगठनात्मक चार्ट नीचे दर्शाया गया है:

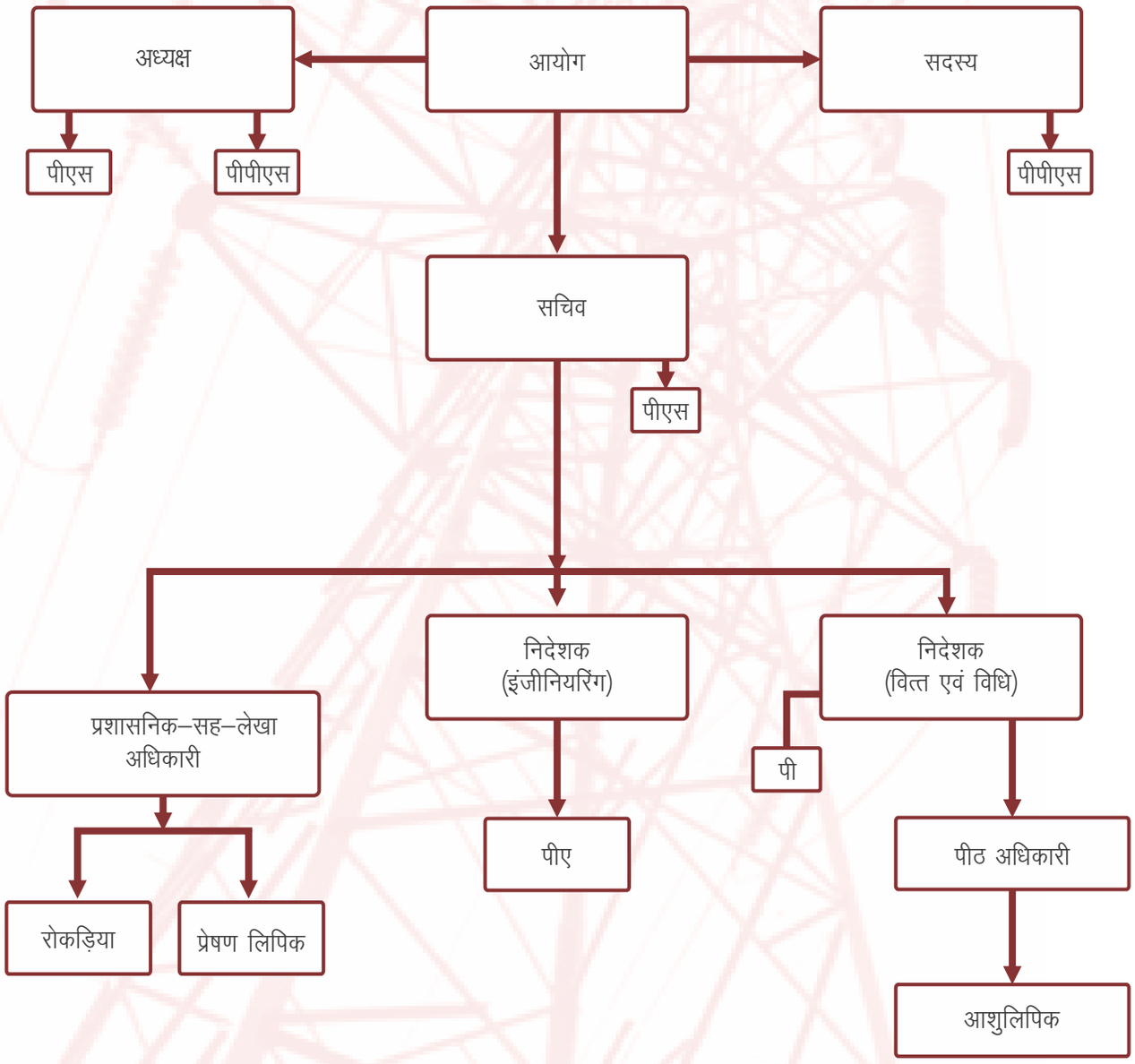

1.6 जन सुनवाई

वर्ष के दौरान, आयोग ने उसके समक्ष लाए गए मामलों को हल करने के लिए 15 जन/अन्य सुनवाई की। इनका विवरण अनुबंध–2 में दिया गया है।

1.7 वेबसाइट

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग की वेबसाइट गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की बिजली क्षेत्र से संबंधित जानकारी प्रदान करती है। वेबसाइट को उपयोगकर्ता की सुविधा के अनुसार बनाया गया है ताकि आयोग द्वारा जारी किए गए सभी विनियम, आदेश, नोटिस माउस के एक क्लिक से आसानी से उपलब्ध हो सकें। जेईआरसी वेबसाइट आयोग के समक्ष दायर की गई याचिकाओं से संबंधित सूचना और जारी किए गए आदेश, यदि कोई हों, के साथ सुनवाई के लिए उनकी अनुसूची भी प्रदान करती है।

वेबसाइट को www.jercuts.gov.in. पर एक सुरक्षित वेबसाइट के रूप में होस्ट किया गया है।

11 जून, 2020 को जेईआरसी कार्यालय में नवीकरणीय ऊर्जा शुल्क विनियम, 2019 के में मसौदे पर जन सुनवाई

1.8 प्रशिक्षण

आयोग के कर्मचारी प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा संचालित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं में भाग लेते रहे हैं ताकि स्वयं को बिजली क्षेत्र में हुए नवीनतम विकास के बारे में सूचित कर सकें। वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान आयोग के कर्मचारियों द्वारा निम्नलिखित प्रशिक्षण / कार्यशालाओं में भाग लिया गयाः–

क्र.सं.	प्रशिक्षण / कार्यशाला का विवरण
1	भारत में विद्युत पारेषण पर 12वां वार्षिक सम्मेलन (पावर लाइन पत्रिका)
2	भारत में सौर ऊर्जा पर 12वां सम्मेलन (इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर पब्लिकेशन)
3	अंतर्राष्ट्रीय सौर शिखर सम्मेलन (पीएचडीसीसीआई)
4	सरकारी ई–मार्केटप्लेस और सामान्य वित्तीय नियम 2017
5	भारत में मीटरिंग पर छठा वार्षिक सम्मेलन (पावर लाइन मैगजीन)
6	विद्युत विनियामक सूचना उपलब्धता और विश्लेषणात्मक प्लेटफॉर्म विनियामक टूल पर कार्यशाला
7	ऊर्जा लेखा–परीक्षा और टीएंडडी प्रणाली में हानि में कमी (आवासीय कार्यक्रम)
8	विनियामक विद्युत टैरिफ और संबंधित मुद्दे
9	सेवा नियमों, कार्यालय प्रक्रिया और कार्यालय शिष्टाचार की सामान्य जानकारी पर कार्यशाला
10	पावर लाइन शिखर सम्मेलन 2019
11	विद्युत क्षेत्र – टैरिफ, प्रौद्योगिकी और उपभोक्ता विकल्प में उभरते विनियामक मुद्दों पर 13वाँ क्षमता निर्माण कार्यक्रम
12	एफओआईआर के अधिकारियों के लिए पहली क्षमता निर्माण संगोष्ठी
13	एसएएफआईआर द्वारा आयोजित 13वां कोर पाठ्यक्रम
14	स्मार्ट ग्रिड घटक और प्रौद्योगिकियां

1.9 कंप्यूटरीकरण

अपने कर्मचारियों के बीच कामकाज को सुचारू ढंग से सुनिश्चित करने के लिए कार्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी के नवीनतम उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मॉडेम शामिल है।

1.10 सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदकों को जानकारी प्रदान करने के लिए आयोग में एक आरटीआई अनुभाग है। वित्तीय वर्ष के दौरान 14 आवेदन प्राप्त हुए और सभी आवेदनों का आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुसार निपटान किया गया था।

जेईआरसी के कर्मचारी कार्यालय परिसर में माननीय अध्यक्ष और सदस्य के साथ बातचीत करते हुए

2. वित्तीय वर्ष 2019–20 के अनुसार आयोग की गतिविधियाँ

2.1 विनियम

वर्ष 2019–20 के दौरान, निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गएः–

(क) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ निर्धारण के लिए निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2019

(ख) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (नेट मीटरिंग पर आधारित सोलर पीवी ग्रिड इंटरएक्टिव सिस्टम) विनियम, 2019

(ग) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम और लोकपाल) विनियम, 2019

निम्नलिखित विनियमों में संशोधन किया गयाः–

(क) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) पहला संशोधन विनियम, 2019

(ख) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) पांचवां संशोधन विनियम, 2019

2.2 वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए टैरिफ और वार्षिक राजस्व आवश्यकता का निर्धारण

वर्ष के दौरान, आयोग ने पिछले वर्षों के टैरिफ आदेश जारी किए हैं, जिसमें पिछले वर्षों का समायोजन, वित्त वर्ष 2019–20 की वार्षिक निष्पादन समीक्षा और वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) में संशोधन तथा वित्त वर्ष 2020–21 के लिए अपने अधिकार क्षेत्र हेतु उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण कंपनियों के लिए टैरिफ का निर्धारण शामिल है।

कोविड–19 महामारी के कारण 24.03.2020 से लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण 31 मार्च, 2020 से पहले टैरिफ आदेश जारी नहीं किए जा सके। तथापि, भारत सरकार ने कार्यालय के पुनः आरंभ करने के लिए दिशानिर्देश जारी करते ही टैरिफ आदेश जारी किए गए थे।

12 फरवरी, 2020 को लक्षद्वीप में जन सुनवाई

12 जून, 2020 को माहे, पुदुचेरी में हितधारकों, उपभोक्ताओं के साथ सार्वजनिक बातचीत

2.3 जेईआरसी के क्षेत्राधिकार में बिजली वितरण कंपनियों के महत्वपूर्ण मापदंडः

वित्त वर्ष 2019–20

			विद्युत और कंपनियों के बीच वितरण					
क्र.सं.	विवरण	लक्षद्वीप	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	चंडीगढ़	दमन एवं दीव	पुदुच्चेरी	गोवा	दादर एवं नागर हवेली
1	उपभोक्ताओं की संख्या	24505	138423	230830	63992	503685	656531	78893
2	संयोजन भार (कि.वा./के.वी.ए. में)	118269	278356	1625136	883353	1439954	2758250	1445876
3	ऊर्जा बिक्री (एम.यू.)	50	265.66	1562.32	2538.27	2649.10	3979.76	6420.75
4	संशोधित टैरिफ से प्राप्त राजस्व (करोड़ रु.)	23.71	183.98	904.98	1,046.92	66.15	1,882.97	2,993.57
5	खुली पहुंच प्रभारों/एफपीपीसीए प्रभारों से राजस्व' (करोड़ रुपए)	0.00	लागू नहीं	30.62	119.06	--	-	340.58
6	आपूर्ति की औसत लागत (एसीओएस) (रु./कि.वा.घं.)	27	26.44	4.80	5.13	5.68	5.56	5.61
7	औसत टैरिफ (रु./कि.वा.घं.)	4.74	6.93	5.53	4.12	5.69	4.73	4.66
8	कुल राजस्व आवश्यकता (करोड़ रु.)	135.13	702.29	749.56	1302.50	1508.94	2212.23	3601.97
9	वर्ष के लिए निवल (अंतर)/अधिशेष (करोड़ रु.)	111.42	518.31	(155.42)	136.52	67.10	329.25	225.08
10	टीएंडडी हानि (%)	12.75%	14.34%	9.40%	6.70%	12.50%	10.75%	4.30%
11	क्षेत्रीय पारेषण हानि	-	-	3.69%	3.66%	2.92%	-	3.66%
12	एसीओज के प्रतिशत के तौर पर औसत टैरिफ (%)	17.55%	26.21%	115%	80%	100.1%	85%	83%
13	एसीओज के % के तौर पर घरेलू	11.67%	16.72%	97.70%	37%	55.45%	60%	40%
14	एसीओज के % के तौर पर वाणिज्यिक	10.04%	33.97%	134.37%	65%	123.76%	100.89%	66%
15	एसीओज के % के तौर पर औद्योगिक	88.62%	29.05%	117.70%	85%	121.79%	94.24%	84%
16	एसीओज के % के तौर पर कृषि	लागू नहीं	6.85%	60.41%	13%	6.50%	35.79%	14%
17	कुल राजस्व के % के तौर पर घरेलू राजस्व	49.43%	32.29%	34.08%	3%	16.27%	21.43%	1%
18	कुल राजस्व के % के तौर पर वाणिज्यिक राजस्व	11.42%	19.06%	35%	2%	14.33%	18.19%	0.45%
19	कुल राजस्व के % के तौर पर औद्योगिक राजस्व	6.07%	7.32%	23.74%	95%	59.18%	57.79%	98%
20	कुल राजस्व के % के तौर पर कृषि राजस्व	लागू नहीं	0.11%	0.05%	0.033%	0.14%	0.29%	0.02%

2.4 राज्य सलाहकार समिति की बैठकें

जेईआरसी ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87 के अनुसार वाणिज्य, उद्योग, परिवहन, कृषि, विद्युत उपभोक्ताओं, गैर–सरकारी संगठनों, शिक्षा और अनुसंधान के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक राज्य सलाहकार समिति का गठन किया है। आयोग निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करने के लिए एसएसी की बैठकें नियमित तौर पर आयोजित करता है:

i. नीतिगत प्रमुख प्रश्न;
ii. लाइसेंसधारकों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता, निरंतरता और सीमा से संबंधित मामले;
iii. लाइसेंसधारकों द्वारा उनके लाइसेंसों की शर्तों और अपेक्षाओं का अनुपालन;
iv. उपभोक्ता हितों का संरक्षण;
v. बिजली की आपूर्ति और कंपनियों द्वारा निष्पादन के समग्र मानक।

वर्ष के दौरान आयोग ने एसएसी की एक बैठक (15वीं बैठक) जेईआरसी मुख्यालय, गुरूग्राम में 26.11.2019 को आयोजित की गई।

26 नवंबर 2019 को आयोजित एसएसी बैठक के दौरान निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई:

- जेईआरसी द्वारा हाल की पहल
- केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आरपीओ अनुपालन में महत्वपूर्ण चुनौतियां
- आरपीओ आवश्यकताओं को दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के लिए विशिष्ट उद्योगों द्वारा पूरा किया जाना चाहिए
- वितरण लाइसेंसधारियों के लिए निष्पादन मानक (एसओपी) पर विनियमों की प्रभावशीलता

26 नवंबर, 2019 को जेईआरसी परिसर में आयोजित 15वीं एसएसी की बैठक

2.5 वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान याचिकाओं की स्थिति

01.04.2019 को याचिकाएँ	02
वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान प्राप्त याचिकाएँ	14
वित्त वर्ष 2019–20 में कुल याचिकाएँ	16
वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान निपटाई गई याचिकाएं	10
31.03.2020 को याचिकाए	6

31.03.2020 को लंबित याचिकाओं का विवरण निम्नानुसार है:–

याचिका सं.	याचिका का संबंधित विषय	याचिकाकर्ता	प्रतिवादी
61/2012 (स्वतः संज्ञान)	नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) के बारे में जेईआरसी (गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए) (नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद) विनियम, 2010 का अनुपालन और समय–समय पर यथासंशोधित।	स्वतः संज्ञान	सभी वितरण लाइसेंसधारी
77/2012 (स्वतः संज्ञान)	जेईआरसी (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2010 के विनियम 8 के अनुसार वित्त वर्ष 2020–21 तक उपभोक्ता मीटरिंग की स्थिति और समय–समय पर यथासंशोधित।	स्वतः संज्ञान	सभी वितरण लाइसेंसधारी
14/2019	दीर्घावधि आधार पर 40 मेगावाट पवन ऊर्जा की बिक्री के लिए बिजली बिक्री समझौता	ईडी–चंडीगढ़	सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
15/2019 (स्वतः संज्ञान)	नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) के संबंध में जेईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद) विनियम, 2016 (तीसरा संशोधन) का अनुपालन	स्वतः संज्ञान	ईडी–दमन और दीव और ईडी–दादरा और नगर हवेली
26/2019	जेईआरसी (सौर पीवी ग्रिड इंटरएक्टिव सिस्टम) 2019 के विनियम 5(पप) और विनियम 17 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1) (ड.) के तहत याचिका जिसमें इस माननीय आयोग को ओपन एक्सेस पर हस्ताक्षर करने के लिए अनुमोदन प्रदान करने और उपरोक्त विनियमों के तहत छूट प्रदान करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए याचिकाकर्ता को ओपन एक्सेस विनियमों और नुकसान सहित संबद्ध प्रभारों से छूट देने के लिए प्रतिवादी को निर्देशित करने की प्रार्थना की गई है।	मैसर्स वैरी पीवी टेक्नोलॉजीज प्रा. लिमिटेड	विद्युत विभाग पुडुचेरी
28/2019	एसईसीआई के साथ 50 मेगावाट पवन ऊर्जा के लिए 2000 मेगावाट आईएसटीसी ट्रेंच–IV के तहत विद्युत बिक्री समझौते (पीएसए) पर हस्ताक्षर करने के संबंध में याचिका।	डीएनएच पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पुडुचेरी	सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया

2.6 विवादों और मतभेदों पर अधिनिर्णय

विद्युत अधिनियम, 2003 की प्रस्तावना में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा का विशिष्ट उल्लेख किया गया है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 42(5) में आयोग द्वारा निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारी द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए एक फोरम की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 42 की उप–धारा (6) में लोकपाल के रूप में एक प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिसे आयोग द्वारा नियुक्त या नामित किया जाना है। बिजली का कोई भी उपभोक्ता, जो उप–धारा (5) के तहत अपनी शिकायत का समाधान न होने से पीड़ित है, लोकपाल को अपनी शिकायत के समाधान के लिए अभ्यावेदन कर सकता है।

गोवा और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) ने विनियमों को अधिसूचित किया है जो 'अपने संशोधनों के साथ पठित जेईआरसी (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए फोरम की स्थापना) विनियम, 2009' तथा अपने संशोधनों के साथ पठित जेईआरसी (लोकपाल की नियुक्ति और कार्यप्रणाली) विनियम, 2009 के रूप में जाना जाता है। ये गोवा राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप और पुदुचेरी के संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू हैं। ये उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं और दिशानिर्देश उपलब्ध कराते हैं। ये विनियम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम की स्थापना

बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए गोवा और केंद्रशासित प्रदेशों में वितरण लाइसेंस/विद्युत विभागों द्वारा स्थापित उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ), वर्तमान में सभी क्षेत्रों में कार्यात्मक हैं, जिनका विवरण अनुबंध–1 में दिया गया है।

प्रत्येक सीजीआरएफ के पास अधिकार है कि वह धारा 126 और 127 (बिजली का अनधिकृत उपयोग), धारा 135 से 139 (बिजली की चोरी तथा अपराध एवं दंड), और विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत धारा 161 (दुर्घटना की सूचना आदि) को छोड़कर, अपने वितरण लाइसेंसधारी/विद्युत विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली बिजली सेवाओं के संबंध में उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण करे।

सभी सीजीआरएफ में उपभोक्ताओं द्वारा दाखिल की जाने वाली शिकायतों के लिए मॉडल प्रक्रियाएं उपलब्ध कराई गई हैं और यह जेईआरसी वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। सीजीआरएफ को सलाह दी गई है कि वह उपभोक्ताओं को उनकी शिकायतों के निपटान के लिए उसके द्वारा बनाई गई प्रक्रियाओं के बारे में बताएं और इसे विभिन्न बिल संग्रह केन्द्रों और लाइसेंसधारी के उप–क्षेत्रीय/क्षेत्रीय कार्यालयों के नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर प्रदर्शित कर इसका प्रचार करें। यह भी सलाह दी गई है कि शिकायतों के निपटान की प्रक्रियाओं की प्रतियां सीजीआरएफ के कार्यालयों में रखी जाए जिससे बिजली उपभोक्ता अपनी जानकारी एवं ज्ञान के लिए बिना किसी परेशानी के इसे प्राप्त कर सकें।

वर्ष 2019–20 के दौरान सीजीआरएफ द्वारा निपटाई गई सभी शिकायतों को नीचे तालिका में दिया गया है:

1. गोवा

पिछली तिमाही की समाप्ति पर बकाया शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष में शिकायतों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की कुल संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	दो माह से अधिक अवधि से लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान सीजीआरएफ की बैठकों की संख्या
12	37	49	44	05	0	25

2. चंडीगढ

पिछली तिमाही की समाप्ति पर बकाया शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष में शिकायतों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की कुल संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	दो माह से अधिक अवधि से लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान सीजीआरएफ की बैठकों की संख्या
19	192	211	197	14	03	47

3. अंडमान एवं निकोबार

पिछली तिमाही की समाप्ति पर बकाया शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष में शिकायतों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की कुल संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	दो माह से अधिक अवधि से लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान सीजीआरएफ की बैठकों की संख्या
04	43	47	45	02	02	166

4. लक्षद्वीप

पिछली तिमाही की समाप्ति पर बकाया शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष में शिकायतों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की कुल संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	दो माह से अधिक अवधि से लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान सीजीआरएफ की बैठकों की संख्या
0	5	5	4	1	1	4

5. दमन व दीव

पिछली तिमाही की समाप्ति पर बकाया शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष में शिकायतों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की कुल संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	दो माह से अधिक अवधि से लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान सीजीआरएफ की बैठकों की संख्या
09	**04**	**13**	**02**	**11**	**10**	**05**

6. पुड्डुचेरी

पिछली तिमाही की समाप्ति पर बकाया शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष में शिकायतों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की कुल संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	दो माह से अधिक अवधि से लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान सीजीआरएफ की बैठकों की संख्या
14	**68**	**82**	**69**	**13**	**0**	**66**

7. दादर एवं नागर हवेली

पिछली तिमाही की समाप्ति पर बकाया शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष में शिकायतों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की कुल संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	दो माह से अधिक अवधि से लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान सीजीआरएफ की बैठकों की संख्या
01	**12**	**13**	**12**	**01**	**0**	**10**

विद्युत लोकपाल

आयोग ने गोवा राज्य और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह चंडीगढ़, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं द्वीव, लक्षद्वीप और पुदुच्चेरी संघ राज्य क्षेत्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत गोवा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक सांविधिक प्राधिकरण के रूप में विद्युत लोकपाल नियुक्त किया है। कोई भी उपभोक्ता जो सीजीआरएफ द्वारा उसकी शिकायत या समस्या के न निपटाए जाने से असंतुष्ट है तो उसके पास अपनी शिकायत/समस्या या विवाद को लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत करने का विकल्प है। लोकपाल सबसे पहले शिकायतकर्ता और लाइसेंसधारी के बीच समझौता या मध्यस्था के माध्यम से आपकी सहमति द्वारा विवाद को निपटाने का प्रयास करता है लेकिन ऐसा न होने पर संबंधित पार्टियों अर्थात उपभोक्ता और लाइसेंसधारी विभाग के तर्कों के आधार पर विवाद के मामले पर निर्णय लेता है।

लोकपाल के समक्ष अपनी शिकायत जमा करने की विस्तृत प्रक्रिया बनाई गई है और इसे आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। इसे व्यापक प्रचार के लिए सीजीआरएफ और लाइसेंसधारियों को भी भेजा गया है।

वर्ष 2019–20 के दौरान, गोवा राज्य तथा चंडीगढ़ और पुदुच्चेरी संघ राज्य क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत किए गए कुल 18 अभ्यावेदनों/अपीलों में से वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान 14 अपीलों का निपटान किया गया।

पिछली तिमाही की समाप्ति पर बकाया शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष में शिकायतों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की कुल संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	दो माह से अधिक अवधि से लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान सीजीआरएफ की बैठकों की संख्या
01	**17**	**18**	**14**	**04**	**0**	**7**

3. वित्त वर्ष 2019–20 के लिए आयोग का वार्षिक लेखा (अनंतिम, सीएजी द्वारा लेखा–परीक्षित किया जाना है)

3.1 आय एवं व्यय विवरण

क्र. सं.	विवरण	आय (रु. लाख)	व्यय (रु. लाख)
	हाथ में बकाया अग्रेनीत राशि	71.05	
क	**आयः**		
	अनुदानों/ऋणों/राजसहायता द्वारा भारत सरकार से (सहायता अनुदान) निम्नलिखित संस्वीकृति संख्या और तारीख को प्राप्त सहायता अनुदान		
	i. 47/1/15–आर एंड आर दिनांक 29/05/2019	187.00	
	ii. 47/1/15–आर एंड आर दिनांक 29/08/2019	212.00	
	iii. 47/1/15–आर एंड आर दिनांक 25/10/2019	232.00	
	iv. 47/1/15–आर एंड आर दिनांक 03/02/2020	235.00	
	कुल	**866.00**	
	v. एफओआर से प्राप्त अंशदान/शुल्क	7.00	
	रायल्टी, प्रकाशन आदि द्वारा		
	vi. वितरण लाइसेंसधारी से लोकपाल व्यय की प्रतिपूर्ति	16.87	
ख	**व्ययः**		
1.	वेतन (आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य)		55.22
2.	वेतन (अधिकारी एवं प्रतिष्ठान)		182.23
3.	व्यावसायिकों एवं अन्य सेवाओं के लिए भुगतान		
	(क) व्यावसायिक		134.98
	(ख) अन्य सेवाएं		85.31
	(i) कार्मिकों की आउटसोसिंग 72.09		
	(ii) हाउसकीपिंग कार्य के लिए आउटसोर्सिंग 7.17		
	(iii) सुरक्षा कार्मिकों की आउटसोर्सिंग 6.05		
4.	घरेलू यात्रा	—	49.99
5.	विदेशी यात्रा	—	
6.	सीपीएफ*	—	8.55
7.	विद्युत एवं ऊर्जा	—	10.44
8.	किराया दर एवं कर	—	250.59

9.	वाहन (वाहन का किराया)	––	16.86
10.	डाक, टेलीफोन एवं संचार शुल्क	––	5.24
11.	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	––	13.96
12.	एफओआर/एफओआईआर आदि को शुल्क	––	14.25
13.	सेमिनार एवं बैठक	––	31.65
14.	कानूनी शुल्क	––	5.35
15.	विज्ञापन एवं प्रकाशन	––	7.60
16.	अन्यः		
	क) कार्यालय व्यय ख) बैंक प्रभार ग) विविध		42.38 0.03
17.	मशीनरी एवं उपकरण	––	.
18.	फर्नीचर एवं फिक्चर	––	5.47
19.	लोकपाल पर व्यय	––	36.82
	कुल	**960.92**	**958.92**
	शेष राशि	––	**2.00**
	कुल	**960.92**	**960.92**

* अध्यक्ष एवं सदस्य के संबंध में सीपीएफ

विभिन्न शुल्को से प्राप्त आय का विवरण नीचे दिया गया है:–

I. लाइसेंसधारियों से वार्षिक लाइसेंस भुल्क का एकत्रीकरण

वार्षिक लाइसेंस शुल्क के एकत्रीकरण का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

क्र.सं.	प्राप्ति की तारीख	वित्त वर्ष	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/अन्य	राशि (रुपए में)
1.	25.06.2019	2019-20	विद्युत विभाग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	29,55,500/-
2.	05.07.2019	2019-20	विद्युत विभाग, चंडीगढ़	1,06,31,000/-
3.	02.08.2019	2019-20	विद्युत विभाग, दमन और दीव	1,09,80,000/-
4.	17.05.2019	2019-20	विद्युत विभाग, लक्षद्वीप	2,27,494/-
5.	05.09.2019	2019-20	विद्युत विभाग, दादरा और नगर हवेली (ट्रांसमिशन)	12,94,000/-
6.	21.02.2020	2020-21	विद्युत विभाग, पुडुचेरी (ट्रांसमिशन प्रभाग)	11,75,000/-
7.	21.02.2020	2020-21	विद्युत विभाग, पुडुचेरी	2,29,61,700/-
		कुल		**5,02,24,694/-**
(पाँच करोड़ दो लाख चौबीस हजार छः सौ चौरानवे रुपए मात्र)				

II. वर्ष के दौरान प्राप्त याचिका शुल्क

वित्त वर्ष 2019–20 में कुल रु. 3,09,29,339/– (तीन करोड़ नौ लाख उन्तीस हजार तीन सौ उनतालिस रुपए मात्र) याचिका/विविध शुल्क के रूप में प्राप्त हुए। प्राप्त याचिका शुल्क का विवरण अनुबंध–3 में दिया गया है।

4. आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सूचना का विवरण

सचिव, श्री राकेश कुमार, जेईआरसी आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत पहले अपीलीय प्राधिकारी हैं। श्री राजेश डांगी, निदेशक (इंजीनियरिंग) को आयोग के लोक सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया गया। वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त और निपटाए गए आवेदनों की संख्या निम्नानुसार है:–

प्राप्त आवेदन	14
निपटाए गए आवेदन	14
आवेदन जिसमें सूचना अस्वीकार की गई	शून्य

5. वित्त वर्ष 2020–21 के लिए योजना

5.1 वार्षिक राजस्व आवश्यकताएँ और टैरिफ का निर्धारण

आयोग पिछले वर्ष के लिए ट्रू अप याचिका, वित्त वर्ष 2020–21 की वार्षिक निष्पादन समीक्षा और वित्त वर्ष 2021–22 के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले सात वितरण लाइसेंसधारियों के टैरिफ निर्धारण पर विचार करेगा और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद टैरिफ आदेश जारी करेगा।

5.2 उत्पादन और ट्रांसमिशन टैरिफ आदेश

वित्त वर्ष 2020–21 के लिए पुडुचेरी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए उत्पादन टैरिफ आदेश तथा विद्युत विभाग–दादरा व नगर हवेली के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ आदेश जारी किए जाने का प्रस्ताव है।

5.3 विनियमों में संशोधन

विनियमों और आवश्यकतानुसार वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए संशोधनों की समीक्षा की जाएगी।

5.4 राज्य सलाहकार समिति की बैठकें

जेईआरसी (राज्य सलाहकार समिति), विनियमन, 2009 के प्रावधानों के अनुसरण में राज्य सलाहकार समिति की नियमित बैठकें आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में समिति की दो बैठकें आयोजित की जानी हैं।

5.5 ई–ऑफिस का कार्यान्वयन

आयोग कार्य में पारदर्शिता बढ़ाने तथा डेटा सुरक्षा और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए ई–ऑफिस का कार्यान्वयन कर रहा है। ई–ऑफिस कार्यान्वयन कार्य संस्कृति में सकारात्मक बदलाव लाएगा, जिसके साथ उत्पादक प्रक्रियाएं बढ़ेंगी।

अनुबंध–I

सभी संघ राज्य क्षेत्र में सीजीआरएफ का विवरण

क्र. सं.	सीजीआरएफ का नाम	सदस्य का नाम	पदनाम	कार्यालय पता	सम्पर्क नं.	ई–मेल
1.	गोवा	1. श्री देशमोंड डी. कोस्टा (06.02.2020 तक) 2. रिक्त 3. श्रीमती सान्द्रा वेज ई कोरिया	अध्यक्ष सदस्य नामांकित सदस्य	विद्युत भवन, चौथा तल, केटीसी स्टेंड के नज़दीक, मुंडवेल, वोस्को डिगामा, गोवा–403802	09422063637	cgrfgoa@yahoo.com adv.sandracorreia@gmail.com
2.	अंडमान एव निकोबार द्वीपसमूह	1. श्री के.जी. रविन्द्रन 2. रिक्त 3. श्री बासुदेव दास	अध्यक्ष सदस्य नामांकित सदस्य	सं. ईएल/03 एवं 04, हॉर्टिकल्चर रोड, हड्डो (पीओ) पोर्ट ब्लेयर–744102	09434266970 03192. 244822 (का) 09679507141	Cgrf.and@nic.in andcgrf@rediffmail.com
3.	चंडीगढ	1. श्री आर.के. साही 2. श्री राजेन्द्र सिंह 3. श्री जसविन्दर सिंह सिधु	अध्यक्ष सदस्य स्वतंत्र सदस्य	पुरानी बीएंडआर बिल्डिंग, हरियाणा टैक्स ट्रिब्यूनल के कार्यालय के निकट, सेक्टर 19–बी, चंडीगढ़	9646118108 0172.2542012(का) 09872318618	chairmancgrf@gmail.com
4.	दमन एवं दीव	1. रिक्त 2. श्री भारत रतिलाल आईसक्रीमवाला 3. डॉ. हबीब शकुरभाई मनसौरी	अध्यक्ष सदस्य स्वतंत्र सदस्य	पॉवर हाउस बिल्डिंग, सी फेसिंग रोड, नानी, दमन–395210	9016333415	bricecreamwala@gmail.com
5.	दादर एव नागर हवेली	1. श्री नटवर भाई पटेल 2. श्री सुनील इज़ारी 3. रिक्त	अध्यक्ष स्वतंत्र सदस्य सदस्य	विद्युत विभाग, दादर एवं नागर हवेली, 66केवी सब–स्टेशन, अमली रोड, सिलवासा–396230	09824106776	chairperson-cgrf@rediffmail.com
6.	लक्षद्वीप	1. श्री के.के. कुन्हीकृष्णन (30.11.2019 तक) 2. श्रीमती सुनिधि ईस्माइल केआरबी 3. रिक्त	अध्यक्ष स्वतंत्र सदस्य सदस्य	विद्युत सीजीआरएफ, पॉवर हाउस के निकट, कावारत्ती, लक्षद्वीप संध राज्य क्षेत्र– 682555	9496196167	Lk-ktelect@nic.in ssunidha766@gmail.com
7.	पुदुच्चेरी	1. श्री के. रामासुब्रामणियन 2. श्री ए.एस. जितेन्द्र राव 3. श्री आर. कृष्णामूर्ति	अध्यक्ष सदस्य स्वतंत्र सदस्य	नं. 6, 17वां क्रॉस स्ट्रीट, अन्ना नगर, पुदुच्चेरी–605 005	9961848808 04132201351 04132201451	cgrfpon@gmail.com

अनुबंध–2

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आयोग द्वारा आयोजित जन सुनवाई / अन्य सुनवाई का विवरण

क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिकाकर्ता	याचिका का विवरण	सुनवाई की तारीख
1.	स्वतः संज्ञान–61 / 2012	सभी वितरण लाइसेंसधारी	जेईआरसी (विद्युत आपूर्ति कोड) विनियम, 2010 के नियमों के अनुसार उपभोक्ता मीटरिंग और बिलिंग (श्रेणी–वार) की स्थिति के मामले में और समय–समय पर संशोधित	27.05.2019
2.	स्वतः संज्ञान–77 / 2012	सभी वितरण लाइसेंसधारी	नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) के संबंध में संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए) (नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद) विनियम, 2010 के अनुपालन के मामले में	27.05.2019
3.	275 / 2019	डीएनएचपीडीसीएल	डीएनएचडीसीएल द्वारा दायर याचिका सं.270 / 2018 में वित्त वर्ष 2019–20 के लिए दिनांक 20.05.2019 के टैरिफ आदेश की समीक्षा के मामले में	19.08.2019
4.	स्वतः संज्ञान–15 / 2019	ईडी–दमन और दीव और ईडी–दादरा और नगर हवेली	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा और केंद्रशासित प्रदेश के लिए) (नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद) विनियम, 2016 (तीसरा संशोधन) का नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) के बारे में अनुपालन।	04.12.2019
5.	14 / 2019	ईडी–चंडीगढ़	दीर्घावधि के आधार पर 40 मेगावाट पवन ऊर्जा की बिक्री के लिए विद्युत बिक्री समझौते को मंजूरी देने की याचिका के मामले में	16.03.2020
6.	26 / 2019	मैसर्स वैरी पीवी टेक्नोलॉजीज प्रा. लिमिटेड, मुंबई	जेईआरसी (सौर पीवी ग्रिड इंटरएक्टिव सिस्टम) 2019 के विनियम 5(ii) और विनियम 17 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1) (ड.) के तहत याचिका जिसमें इस माननीय आयोग को ओपन एक्सेस पर हस्ताक्षर करने के लिए अनुमोदन प्रदान करने और उपरोक्त विनियमों के तहत छूट प्रदान करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए याचिकाकर्ता को ओपन एक्सेस विनियमों और नुकसान सहित संबद्ध प्रभारों से छूट देने के लिए प्रतिवादी को निर्देशित करने की प्रार्थना की गई है।	16.03.2020

क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिकाकर्ता	याचिका का विवरण	सुनवाई की तारीख
7.	21/2019	ईडी–गोवा	वित्त वर्ष 2015–16 के ट्रू–अप के मामले में, सकल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) और विद्युत विभाग, गोवा सरकार (ईडीजी) के लिए वित्त वर्ष 2020–21 हेतु खुदरा टैरिफ का निर्धारण	05.02.2020
8.	18/2019	ईडी–दादरा और नगर हवेली (ट्रांसमिशन)	वित्त वर्ष 2018–19 के ट्रू–अप के मामले में, वित्त वर्ष 2019–20 की वार्षिक निष्पादन समीक्षा, विद्युत विभाग, ट्रांसमिशन प्रभाग, दादरा और नगर हवेली के लिए वित्त वर्ष 2020–21 हेतु सकल राजस्व आवश्यकताएँ (एआरआर) और ट्रांसमिशन टैरिफ का निर्धारण	21.01.2020
9.	17/2019	ईडी–चंडीगढ़	वित्त वर्ष 2018–19 के ट्रू–अप के मामले में, वित्त वर्ष 2019–20 की वार्षिक निष्पादन समीक्षा, सकल राजस्व आवश्यकताएँ (एआरआर) और वित्त वर्ष 2020–21 के लिए इंजीनियरिंग विभाग, चंडीगढ़ (ईडब्ल्यूईडीसी) हेतु खुदरा शुल्क का निर्धारण	25.02.2020
10.	19/2019	डीएनएचपीडीसीएल	वित्त वर्ष 2018–19 के ट्रू–अप के मामले में, वित्त वर्ष 2019–20 की वार्षिक निष्पादन समीक्षा, सकल राजस्व आवश्यकताएं (एआरआर) और डीएनएच पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए वित्त वर्ष 2020–21 के लिए खुदरा टैरिफ का निर्धारण	21.01.2020
11.	22/2019	ईडी–दमन और दीव	वित्त वर्ष 2018–19 के ट्रू–अप के मामले में, वित्त वर्ष 2019–20 की वार्षिक निष्पादन समीक्षा और कृषि राजस्व आवश्यकताओं (एआरआर) और बिजली विभाग दमन और दीव के लिए वित्त वर्ष 2020–21 के लिए खुदरा शुल्क का निर्धारण	21.01.2020 तथा 29.01.2020
12	16/2019	पीपीसीएल	वित्त वर्ष 2017–18 के ट्रू–अप के मामले में, सकल राजस्व आवश्यकताएं (एआरआर) और पुदुचेरी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीपीसीएल) के लिए वित्त वर्ष 2020–21 हेतु उत्पादन टैरिफ का निर्धारण	08.01.2020

क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिकाकर्ता	याचिका का विवरण	सुनवाई की तारीख
13	20 / 2019	ईडी–पुडुचेरी	वित्त वर्ष 2017–18 और वित्त वर्ष 2018–19 के लिए ट्रू–अप के मामले में, वित्त वर्ष 2019–20 के लिए वार्षिक निष्पादन की समीक्षा और वित्त वर्ष 2020–21 के लिए बिजली विभाग, पुदुचेरी सरकार (पीईडी) हेतु सकल राजस्व आवश्यकताएं (एआरआर) और खुदरा टैरिफ का निर्धारण	07.01.2020
14	24 / 2019	ईडी–लक्षद्वीप	वित्त वर्ष 2015–16 और वित्त वर्ष 2016–17 के लिए ट्रू–अप के मामले में, वित्त वर्ष 2019–20 के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा और लक्षद्वीप बिजली विभाग के लिए वित्त वर्ष 2020–21 के लिए सकल राजस्व आय (एआरआर) और टैरिफ शुल्क का निर्धारण (एलईडी)	12.02.2020 तथा 13.02.2020
15	23 / 2019	ईडी–अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	वित्त वर्ष 2016–17 के लिए ट्रू–अप के मामले में 2019–20 के लिए एपीआर और वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए एआरआर और रिटेल टैरिफ का निर्धारण	02.03.2020 तथा 04.03.2020

अनुबंध–3

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान प्राप्त याचिका शुल्क

क्र.सं.	प्राप्ति की तिथि	याचिकाकर्ता / विद्युत विभाग (ईडी)	याचिका की विषय–वस्तु	राशि (रुपए में)
1.	30.04.2019	याचिकाकर्ता	विविध शुल्क	598/-
2	05.07.2019	डीएनएचपीडीसीएल	20-05-2019 के आदेश के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करने के लिए शुल्क	6,29,688/-
3.	27.09.2019	ईडी–चंडीगढ़	एसईसीआई द्वारा 40 मेगावाट पवन ऊर्जा के लिए 2000 मेगावाट आईएसटीसी ट्रेंच–IV के तहत विद्युत बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर करने के संबंध में याचिका दायर करने के लिए शुल्क	20,000/-
4.	19.10.2019	मैसर्स कृष्णा दत्ता मुलतानी	20.05.2019 के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रदान करने के लिए शुल्क	1920/-
5.	08.11.2019	ईडी–चंडीगढ़	एसईसीआई द्वारा 40 मेगावाट पवन ऊर्जा के लिए 2000 मेगावाट आईएससी ट्रेंच– IV के तहत विद्युत बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर करने के संबंध में याचिका दायर करने के लिए शेष शुल्क	4,80,000/-
6.	02.12.2019	ईडी–पुडुचेरी	वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए एआरआर और टैरिफ याचिका दायर करने के लिए शुल्क	47,13,750/-
7.	03.12.2019	डीएनएच (ट्रांसमिशन)	वित्त वर्ष 2020–21 के लिए एआरआर और टैरिफ निर्धारण दाखिल करने के लिए शुल्क	20,00,000/-
8.	03.12.2019	ईडी–अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	वित्त वर्ष 2020–21 के लिए एआरआर और टैरिफ निर्धारण दाखिल करने के लिए शुल्क	10,00,000/-
9.	05.12.2019	पीपीसीएल	वित्त वर्ष 2020–21 के लिए 32.5 मेगावाट गैस पावर स्टेशन के लिए टैरिफ याचिका दायर करने के लिए शुल्क	15,00,000/-
10.	06.12.2019	ईडी–दमन और दीव	वित्त वर्ष 2020–21 के लिए एआरआर और टैरिफ निर्धारण दाखिल करने के लिए शुल्क	33,04,938/-
11.	07.12.2019	ईडी–पुडुचेरी	वित्त वर्ष 2020–21 के लिए एआरआर और टैरिफ निर्धारण दाखिल करने के लिए शुल्क	19,53,150/-
12.	10.12.2019	ईडी–लक्षद्वीप	वित्त वर्ष 2020–21 के लिए एआरआर और टैरिफ निर्धारण दाखिल करने के लिए शुल्क	10,00,000/-
13.	17.12.2019	ईडी–गोवा	वित्त वर्ष 2020–21 के लिए एआरआर और टैरिफ निर्धारण दाखिल करने के लिए शुल्क	54,24,188/-
14.	19.12.2019	डीएनएचपीडीसीएल	वित्त वर्ष 2020–21 के लिए एआरआर और टैरिफ निर्धारण दाखिल करने के लिए शुल्क	83,83,625/-
15.	12.02.2020	मैसर्स वैरी पीवी टेक्नोलॉजीज प्रा. लिमिटेड	ओपन एक्सेस समझौते की अनुदान स्वीकृति के लिए याचिका दायर करने के लिए शुल्क	5,00,000/-
16.	18.03.2020	डीएनएचपीडीसीएल	एसईसीआई द्वारा 50 मेगावाट पवन ऊर्जा के लिए 2000 मेगावाट आईएसटीसी ट्रेन्च– IV के तहत विद्युत बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर के संबंध में याचिका दायर करने के लिए शुल्क	20,000/-
			कुल	**3,09,29,339/-**

अनुबंध–4

31.03.2020 तक अधिसूचित विनियमों की सूची

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	विनियम शीर्षक	अधिसूचना की तारीख
1.	जेईआरसी–01/2009	(व्यवसाय का संचालन) विनियम–2009	30.07.2009
		• पहला संशोधन विनियम–2013	• 30.04.2013
		• दूसरा संशोधन विनियम–2013	• 11.10.2013
		• तीसरा संशोधन विनियम–2014	• 15.05.2014
		• चौथा संशोधन विनियम–2015	• 11.02.2015
		• पांचवां संशोधन विनियम–2019	• 11.09.2019
2.	जेईआरसी–02/2009	अधिकारी और कर्मचारी की भर्ती, नियंत्रण और सेवा शर्तें विनियम–2009	30.07.2009
3.	जेईआरसी–03/2009	लोकपाल विनियम–2009 की नियुक्ति और कार्य	31.07.2009
		• पहला संशोधन विनियम–2013	• 04.04.2013
		• दूसरा संशोधन विनियम–2015	• 01.01.2015
		• तीसरा संशोधन विनियम–2017(निरस्त)	• 12.06.2017
4.	जेईआरसी–04/2009	उपभोक्ता विनियम–2009 की शिकायतों के निवारण के लिए फोरम की स्थापना	31.07.2009
		• पहला संशोधन विनियम–2013	• 25.03.2013
		• दूसरा संशोधन विनियम–2015 (निरस्त)	• 30.01.2015
5.	जेईआरसी–05/2009	(ट्रांसमिशन लाइसेंस और वितरण लाइसेंस के अन्य व्यवसाय आचरण)	18.12.2009
		• पहला संशोधन विनियम–2016	• 19.10.2016
6.	जेईआरसी–06/2009	निष्पादन मानक विनियम–2009 (निरस्त)	18.12.2009
7.	जेईआरसी–07/2009	राज्य सलाहकार समिति विनियम–2009	18.12.2009
		• पहला संशोधन विनियम–2015	• 21.01.2015
8.	जेईआरसी–08/2009	परामर्शदाता नियुक्ति विनियम–2009	11.02.2010
9.	जेईआरसी–09/2009	ट्रांसमिशन और वितरण ओपन एक्सेस विनियम–2009	11.02.2010
10.	जेईआरसी–10/2009	टैरिफ निर्धारण निबंधन एवं शर्तें विनियम–2009 (निरस्त)	08.02.2010
11.	जेईआरसी–11/2010	बिजली आपूर्ति संहिता विनियम–2010 (निरस्त)	20.05.2010
12.	जेईआरसी–12/2010	राज्य ग्रिड संहिता विनियम–2010	07.08.2010

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	विनियम शीर्षक	अधिसूचना की तारीख
13.	जेईआरसी–13/2010	विद्युत व्यापार विनियम–2010	31.08.2010
14.	जेईआरसी–14/2010	नवीकरणीय ऊर्जा प्रापण विनियम–2010 • पहला संशोधन विनियम–2014 • दूसरा संशोधन विनियम–2015 • तीसरा संशोधन विनियम–2016	30.11.2010 • 19.02.2014 • 22.12.2015 • 22.08.2016
15.	जेईआरसी–15/2010	वितरण कोड विनियम–2010	11.08.2010
16.	जेईआरसी–16/2013	अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने की प्रक्रिया विनियम–2013	29.04.2013
17.	जेईआरसी–17/2014	मांग पक्ष प्रबंधन विनियम–2014	24.06.2014
18.	जेईआरसी–18/2014	बहु वर्षीय वितरण टैरिफ विनियम–2014 (निरस्त)	30.06.2014
19.	जेईआरसी–19/2015	सौर ऊर्जा – ग्रिड संबद्ध ग्राउंड माउंटेड और सोलर रूफटॉप एवं मीटरिंग विनियम–2015 (निरस्त)	15.05.2015
20.	जेईआरसी–20/2015	वितरण लाइसेंसधारियों के लिए निष्पादन मानक विनियम–2015	24.07.2015
21.	जेईआरसी–21/2017	अंतर–राज्य ट्रांसमिशन और वितरण में कनेक्टिविटी और ओपन एक्सेस विनियम–2017	14.03.2018
22.	जेईआरसी–22/2018	(उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण बहु वर्षीय टैरिफ) विनियम, 2018	10.08.2018
23.	जेईआरसी–23/2018	विद्युत आपूर्ति संहिता विनियम–2018 • पहला संशोधन विनियम–2019	26.11.2018 • 25.03.2019
24.	जेईआरसी–24/2019	नेट मीटरिंग विनियम–2019 पर आधारित सौर मीटर ग्रिड इंटरएक्टिव सिस्टम	24.07.2019
25.	जेईआरसी–25/2019	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत विनियम–2019 से टैरिफ निर्धारण के लिए निबंधन एवं शर्तें	24.07.2019
26.	जेईआरसी–26/2019	उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम और लोकपाल विनियम–2019	11.09.2019

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (FOR THE STATE OF GOA & UNION TERRITORIES)

XII Annual Report For the Financial Year 2019-20 (Under Section 105 of the Electricity Act, 2003)

Joint Electricity Regulatory Commission
(For the State of Goa and Union Territories)
3rd & 4th Floor, Plot No.55-56
Sector-18, Udyog Vihar: Phase-IV, Gurugram-122015 (Haryana)
Website: www.jercuts.gov.in
E-mail: secy.jercuts@gov.in

Contents

ANNEXURE

ABBREVIATIONS 4

From the Desk of the Chairman 5-6

1. Activity Highlights of FY 2019-20

1.	Organizational Setup and Administration	7
1.1	The Commission	8
1.2	Functions and Duties of the Commission	9
1.3	Profile of the Members of the Commission	10-11
1.4	Office of the Commission	12
1.5	Organizational Structure of the Commission	13
1.6	Public Hearings	14
1.7	Website	14
1.8	Training	15
1.9	Computerisation	16
1.10	Right to Information	16

2. Activities of the Commission during the Financial Year 2019-20

2.1	Regulations	17
2.2	Determination of Tariff and Annual Revenue Requirement for FY 2020-21	18
2.3	Important parameters of the Electricity Utilities under JERC Jurisdiction	19
2.4	State Advisory Committee Meetings	20
2.5	Status of Petitions during the FY 2019-20	21
2.6	Adjudication of Disputes and Differences	22-25

3. Annual Accounts of the Commission 26-28

4. Details of Information under the RTI Act, 2005 29

5. Agenda for Financial Year 2020-21 29

ANNEXURES

Annexure-1	Details of Consumer Grievances Redressal Forum	30
Annexure-2	Details of Public Hearings/other hearings conducted by Commission during FY 2019-20	31-33
Annexure-3	Details of Petition fees	34
Annexure-4	List of Regulations as on 31.03.2020	35

ABBREVIATIONS

ACos	Average Cost of Supply
ARR	Annual Revenue Requirement
CERC	Central Electricity Regulatory Commission
CGRF	Consumer Grievances Redressal Forum
DNHPDCL	Dadra & Nagar Haveli Power Distribution Corporation Limited
ED	Electricity Department
FOR	Forum of Regulators
FPPCA	Fuel and Power Purchase Price Adjustment
FY	Financial Year
GoI	Government of India
IIT	Indian Institute of Technology
JERC	Joint Electricity Regulatory Commission (For the State of Goa and Union Territories)
MoU	Memorandum of Undertaking
NHPC	National Hydro Power Corporation
PFC	Power Finance Corporation
PPCL	Puducherry Power Corporation Limited
PPA	Power Purchase Agreement
PFC	Power Finance Corporation
PSU	Public Sector Undertaking
REC	Rural Electrification Corporation
RPO	Renewable Purchase Obligations
RTI	Right to Information
SAC	State Advisory Committee
T&D	Transmission and Distribution

From the Desk of the Chairman

सत्यमेव जयते

Shri M. K. Goel
Chairperson

Efficient and reliable power infrastructure is one of the vital prerequisites for sustainable long-term economic growth. The power sector in India, largely driven by thermal power generation, has grown manifold over the years and evolved significantly to cater to the growth of industry, service, commercial and other sectors. Joint Electricity Regulatory Commission (JERC) for the State of Goa and Union Territories was formed in August, 2008 for facilitating regulated and orderly growth of the power sector in these territories. These territories, even while measuring small in terms of geographical area, contribute richly in terms of either industrialisation (Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu and also Puducherry) or modern urban development (Chandigarh) and/or tourism (Goa and Andaman & Nicobar and Lakshadweep and also Diu). The island territories, namely A&N and Lakshadweep are also strategically located with huge tourism potential. In this context, the Joint Electricity Regulatory Commission for the state of Goa and the Union Territories plays an important Regulatory role in facilitating the growth of the power sector in these territories, balancing the needs and aspirations of various stakeholders.

The Commission came into existence in August, 2008 and has been thriving to fulfil the responsibilities and duties assigned to it under the Act and in its journey has effectively performed the role of monitoring the performance of Utilities, while balancing the interest of all stakeholders and consumers.

This is the XIIth Annual Report covering activities of the Commission during the year 2019-20.

The Commission has during the year taken steps for promoting efficiency and competitiveness in the power sector, ensuring protection of consumer interests and improving the performance and financial viability of the power utilities. The Commission, keeping in mind the best interest of all the stakeholders this financial year have notified (a) Joint Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Tariff determination from Renewable Energy Sources) Regulations, 2019; (b) Joint Electricity Regulatory Commission (Solar PV Grid Interactive System based on Net Metering) Regulations, 2019; (c) Joint Electricity Regulatory Commission (Consumer Grievances Redressal Forum and Ombudsman) Regulations, 2019. The Commission from time to time interacts with the representatives of consumer organizations, industry associations and other institutions through State Advisory Committee meetings. This Financial Year the Commission organized its 15th State Advisory Committee Meeting, details of which are in the subsequent chapters.

Also, in keeping with the green initiatives of GoI, the Commission has been closely monitoring the renewable purchase obligations (RPO) of all the distribution utilities in the territories by conducting suo moto hearing and urging the utilities to meet their RPO targets. Further, considering the fact that most of the territories are ecologically sensitive and fragile, the Commission encourages renewable generation projects through its yearly generic tariff orders on cost plus basis.

Lastly, I would like to congratulate and sincerely thank electricity distribution utilities, consumers and consumer organizations, members of the State Advisory Committee and other stakeholders for their valuable suggestions which helped the Commission in determination of a rational, balanced Tariff Orders and for other regulatory activities

With the above background, with immense pleasure, the Commission presents the XII Annual Report of the Joint Electricity Regulatory Commission (for the State of Goa and Union Territories) and looks forward to continued support from all stakeholders in discharging its responsibilities.

1. ORGANIZATIONAL SETUP AND ADMINISTRATION

1.1 The Commission

In exercise of the powers conferred by Section 83 of the Electricity Act, 2003, the Central Government constituted a two member (including Chairperson) Joint Electricity Regulatory Commission for all Union Territories except Delhi to be known as 'Joint Electricity Regulatory Commission for Union Territories' with Headquarters at Delhi, as notified vide notification no. 23/52/2003 – R&R dated 2nd May, 2005. Later, with the joining of the State of Goa, the Commission came to be known as the 'Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories' as notified vide notification no. 23/52/2003 – R&R (Vol. II) on 30th May, 2008. The Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories started functioning with effect from August 2008. The office of the Commission is presently located in a rented building in the district town of Gurugram, Haryana.

During the year the Commission has endeavoured to continue further with its fair, transparent and objective regulatory process in the State of Goa and Union Territories. The Eleventh Annual Report of the Commission showcases the activities of the Commission during the Financial Year 2018-19.

The Commission, for the purpose of any inquiry or proceedings under the Electricity Act, 2003 has the same powers as are vested in a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 in respect of the matters listed under sub-section (1) of Section 94 of the Act.

All proceedings before the Commission are deemed to be judicial proceedings within the meaning of Sections 193 and 228 of the Indian Penal Code and the Commission is deemed to be a Civil Court for the purposes of Sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973. The Commission has the sole jurisdiction to adjudicate or nominate arbitrator(s) to arbitrate and resolve all disputes arising between generating companies and the licensees.

1.2 Functions of the Commission

THE MANDATE

The Electricity Act, 2003 aims to consolidate the laws relating to generation, transmission, distribution, trading and use of electricity and generally for taking measures conducive to development of electricity industry, promoting competition therein, protecting interest of consumers and supply of electricity to all areas, rationalization of electricity tariff, ensuring transparent policies regarding subsidies, promotion of efficient and environmentally benign policies, constitution of the Central Electricity Authority, Regulatory Commissions and establishment of Appellate Tribunal for electricity. It also aims to create an enabling framework conducive to development of the power sector in an open, non-discriminatory, competitive, market driven environment; keeping in view the interest of consumers, as well as power suppliers. In this context, the role of the Commission is pivotal in order to realise the objectives envisaged in the Electricity Act.

THE FUNCTIONS MANDATED TO THE COMMISSION

According to the Electricity Act, 2003, the JERC is committed to create an efficient and economically viable electricity system in the State of Goa and the Union Territories, balancing the interests of all stakeholders while fulfilling its primary responsibility to ensure reliable supply of power at affordable rates and is guided by the principles of transparency, accountability, equitability and in discharge of its functions, to safeguard the interests of the licensees and generating companies in the State of Goa and the Union Territories and to give a fair deal to consumers at the same time. To achieve the above, the Commission is mandated to carry out the following functions u/s 86(1) of the Electricity Act, 2003-

a) Determine the tariff for generation, supply, transmission and wheeling of electricity, wholesale, bulk or retail, as the case may be, within the State:

   Provided that where open access has been permitted to a category of consumers under section 42, the State Commission shall determine only the wheeling charges and surcharge thereon, if any, for the said category of consumers;

b) Regulate electricity purchase and procurement process of distribution licensees including the price at which electricity shall be procured from the generating companies or licensees or from other sources through agreements for purchase of power for distribution and supply within the State;

c) Facilitate intra-state transmission and wheeling of electricity;

d) Issue licenses to persons seeking to act as transmission licensees, distribution licensees and electricity traders with respect to their operations within the State/ Union Territories;

e) Promote cogeneration and generation of electricity from renewable sources of energy by providing suitable measures for connectivity with the grid and sale of electricity to any person, and also specify, for purchase of electricity from such sources, a percentage of the total consumption of electricity in the area of a distribution licensee;

f) Adjudicate upon the disputes between the licensees, and generating companies and to refer any dispute for arbitration;

g) Levy fee for the purposes specified under this Act;

h) Specify State Grid Code consistent with the Indian Electricity Grid Code (IEGC) specified by Central Electricity regulatory Commission;

i) Specify or enforce standards with respect to quality, continuity and reliability of service by licensees;

j) Fix the trading margin in the intra-State trading of electricity, if considered, necessary;

k) Discharge such other functions as may be assigned to it under this Act.

As per Section 86(2) of the Act, the Commission shall advise the State/ Union Territory Government on all or any of the following matters, namely:-

i) promotion of competition, efficiency and economy in activities of the electricity industry;

ii) promotion of investment in electricity industry;

iii) reorganization and restructuring of electricity industry in the State/ UTs

iv) matters concerning generation, transmission, distribution and trading of electricity or any other matter referred to the Joint Commission by the Government.

In terms of Section 86(3), the Commission shall ensure transparency while exercising its powers and discharging its functions; and, as per section 86(4), in discharge of its functions the Commission is guided by the Electricity Act, 2003, the National Electricity Policy, National Electricity Plan and Tariff Policy.

Public Hearing at Puducherry on 7th January, 2020

1.3 PROFILE OF THE MEMBERS OF THE COMMISSION

The Commission, during the period of the present Annual Report consisted of the following Members:

Shri M. K. Goel
Chairperson

Shri M.K.Goel took over as Chairperson, Joint Electricity Regulatory Commission (JERC) for the State of Goa and UTs on 17th February, 2017.

Shri Goel, an Electrical Engineer from Kanpur University has over 37 years of varied Power Sector experience. Before joining JERC, he has been heading Power Finance Corporation, a navaratna PSU and the largest NBFC in the country as Chairman and Managing Director. He has close to 28 years of Power Financing experience in PFC, and 9 years of Power Generation experience in NHPC before joining PFC in 1988. He has more than 9 years of Board level experience in PFC.

Under his leadership as CMD, PFC, despite challenging times, PFC has shown continued business growth with enhanced financial and operational performance. As a result, PFC ranked the largest NBFC in the country based on net worth (all reserves) as on 31.03.2016 and 5thhighest profit making PSU as per DPE survey, 2016. He also ensured achievement of all the MoU targets set by the Government of India for FY 2013-14 and FY 2014-15, entitling PFC to the highest MoU score of 1.00 consecutively for 2 years during his tenure as CMD.

He also steered various power sector reform programmes by spearheading GoI initiatives, which included Integrated Power Development Scheme (IPDS), UDAY, 24X7 Power for All etc. He was also instrumental in implementation of other GoI initiatives like UMPPs, ITPs, review of UMPP bidding documents etc.

He immensely contributed to the development of the power sector and the financial industry as a key member in various Committees related to policy and regulatory areas such as (1)) 'Central Advisory Committee' (CAC) to advise CERC on policy issues, (2) 'Fund requirement' for National Electricity Plan constituted by CEA, (3) 'High Level Committee on Financing Infrastructure' to take up financing issues with RBI for regulatory changes etc.

Smt. Neerja Mathur
Member

Smt. Neerja Mathur has served the charge of Member, Joint Electricity Regulatory Commission (for the State of Goa & Union Territories) w.e.f. 26.08.2015 & retired on 07.12.2019 on completion of tenure due to attaining the age of 65 years. Earlier, Smt. Neerja Mathur held office as the Chairperson of Central Electricity Authority (CEA) from 01.11.2013 to 31.12.2014. An officer of the CPES cadre, Smt. Neerja Mathur had joined the CEA in July 1979 as Assistant Director through UPSC and has acquired versatile experience of about 34 years in the development of power sector over the period of her wide and varied work experience in various capacities in the CEA. Smt. Neerja Mathur is a technical professional from the stream of Electronics & Communication Engineering with a Graduate Degree from IIT, Roorkee and M.Tech. Degree from IIT, Delhi.

With an initial stint in the area of power system protection and instrumentation and appraisal of transmission schemes, Smt. Neerja Mathur had worked extensively in the area of Planning, Load Despatch and Telecom facilities in the Power Sector. During her tenure as Director and Chief Engineer in the Integrated Resource Planning Division, Smt. Neerja Mathur was associated with both short term and long-term Generation Planning & Load Forecasting. She has been proactively involved in framing the National Electricity Plan and Working Group Reports for the five years plan periods for the integrated resource planning in the country. She was instrumental in the preparation of National Electricity Plan brought out in April 2007 covering 11th Plan in detail and perspective for 12th & 13th Plans. Smt. Mathur has also guided the formulation of the subsequent National Electricity Plan which is under publication covering 12th Plan in detail and perspective for 13th & 14th Plans. As Chief Engineer of Operation Monitoring Division, she was entrusted with fuel monitoring of power stations in the country and to address the issues related to availability of fuel.

Smt. Neeja Mathur took over as Member (Grid Operation & Distribution), CEA & Ex-officio Additional Secretary to the Government of India w.e.f. 1st March 2013 with responsibility of grid management, distribution system functionality and operational performance of generating units. In her tenure as Chairperson, CEA since 1st November 2013, Smt. Neerja Mathur was involved in the overall planning and coordination of all the facets of power sector of the country in its entirety. The thrust has been to facilitate the generation capacity addition and commensurate development of transmission system with strengthening of distribution network as well.

As part of responsibilities attached to the post of Chairperson, CEA, Smt. Neerja Mathur was associated in important matters of Central Electricity Regulatory Commission (CERC) as Ex-officio Member of CERC. By virtue of her professional expertise, she has held Chairmanship/Membership of the important Committees/Groups associated with Power Sector.

1.4 OFFICE OF THE COMMISSION

The Commission is functioning through rented premises located at Plot No.55-56, 3rd & 4th Floor, Udyog Vihar-IV, Sector-18, Gurugram, Haryana. The Commission has its own website (www.jercuts.gov.in), which is redesigned and regularly maintained and updated by its Secretariat. The website is used for informing hearing schedules, news, updates, inviting comments on concept papers, Regulations, Petitions and uploading of notified Regulations, Orders of the Commission etc. It also provides information on Consumer Grievances Redressal Forums and Ombudsman and guides consumers for redressal of their grievances.

Public Hearing on Draft Solar PV Grid Connected-Net Metering and Renewable Energy Tariff Regulations, 2019 at JERC office on 11th June, 2020

Public Hearing on Draft Solar PV Grid Connected-Net Metering and Renewable Energy Tariff Regulations, 2019 at JERC office on 11th June, 2020

1.5 ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE COMMISSION

The Organization Chart based on the sanctioned staff strength is depicted below:-

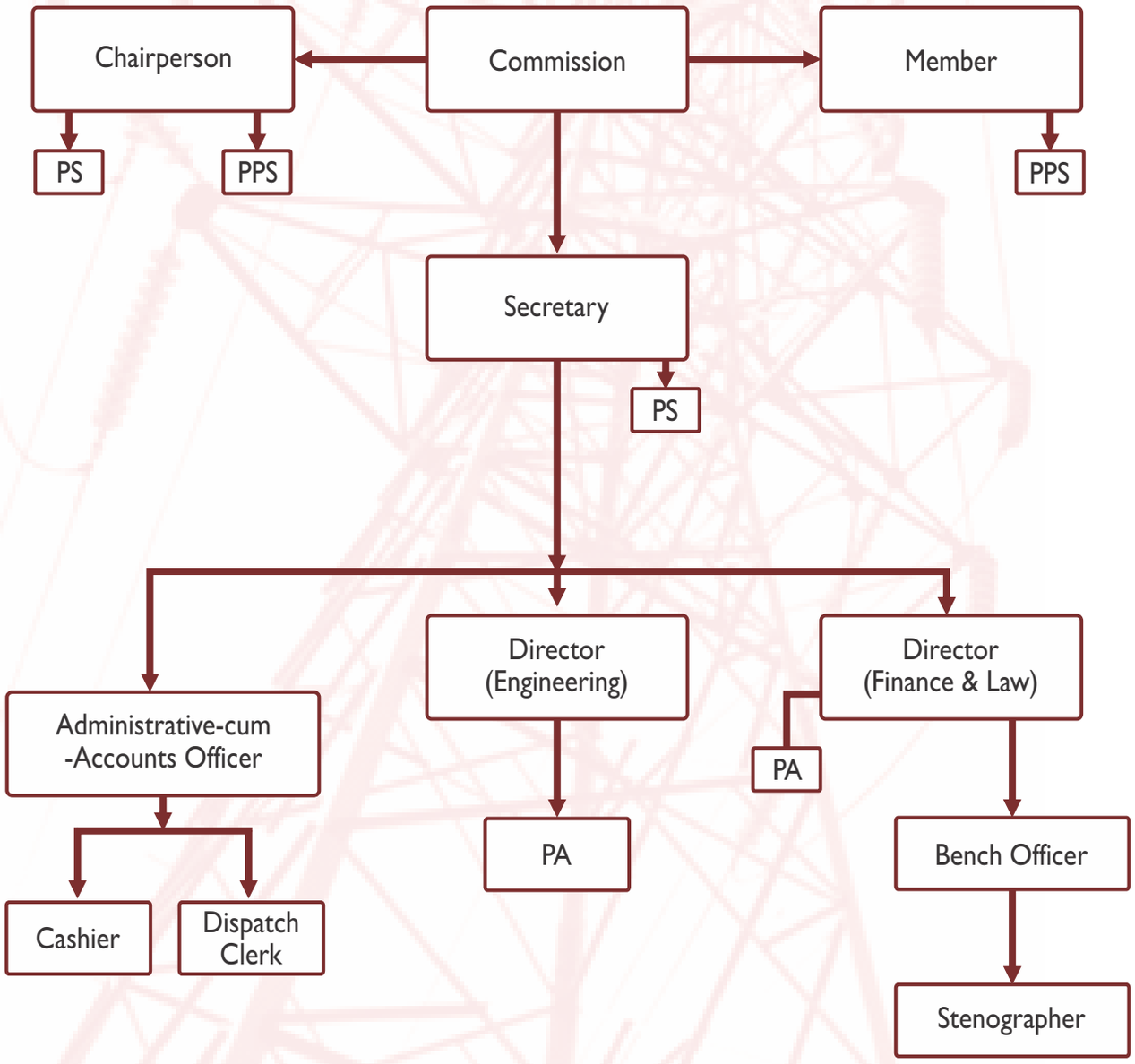

1.6 PUBLIC HEARING

During the year, the Commission conducted 15 public/other hearings in order to resolve the matters brought before it.The details of which are placed in theAnnexure 2.

1.7WEBSITE

Joint Electricity Regulatory Commission's website provides information related to the State of Goa and Union Territories power sector. The website is designed in a user-friendly manner such that all the Regulations, Orders, Notices issued by the Commission are available effortlessly at the click of mouse.The JERC website also provides information related to the Petitions filed before the Commission and their Schedule for hearing along with the Orders issued, if any.

The website is hosted as a secured website at www.jercuts.gov.in.

Public Hearing on Draft Renewable Energy Tariff Regulations, 2019 at JERC office on 11thJune, 2020

1.8 TRAINING

The Staff of the Commission has been attending various training programs and workshops conducted by reputed institutions to keep themselves informed about the latest developments in the power sector. During FY 2019-20, the following trainings/workshops were attended by the staff of the Commission:-

S.N.	Particulars of Training/Workshop
1	12 annual Conference on Power Transmission in India (Power Line Magazine)
2	12th Conference on Solar Power in India (India Infrastructure Publishing)
3	International Solar Summit (PHDCCI)
4	Govt. E-Marketplace and General Financial Rules 2017
5	6th Annual Conference on Metering in India (Power Line Magazine)
6	Workshop on Electricity Regulatory Information Access and Analytic Platform Regulatory Tool
7	Energy Audit & Loss Reduction in T&D systems (Residential Programme)
8	Regulatory Electricity Tariffs and Related Issues
9	Workshop on General Awareness of Service Rules, Office Procedures & Office Etiquette"
10	Power Line Summit 2019
11	13th Capacity Building Programme On (Emerging Regulatory Issues in the Power Sector-Tariff, Technology and Consumer Choice."
12	1st Capacity Building Seminar for Officers of FOIR
13	18th Core Course Organized by SAFIR
14	Smart Grid Components and Technologies

1.9 COMPUTERISATION

The office is equipped with latest equipment in the Information Technology including hardware, software, modem to ensure smooth functioning amongst its staff in the work environment.

1.10 RIGHT TO INFORMATION

The Commission has its RTI section for providing information to the applicants under Right to Information Act, 2005. There were 14 number of applications received during the financial year and all applications were disposed of according to RTI Act, 2005.

JERC staff interaction with Hon'ble Chairperson and Member at office premises

2. ACTIVITIES OF THE COMMISSION DURING THE FINANCIAL YEAR 2019-20

2.1 REGULATIONS

During the Year 2019-20, the following Regulations were notified:-

(a) Joint Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Tariff determination from Renewable Energy Sources) Regulations, 2019

(b) Joint Electricity Regulatory Commission (Solar PV Grid Interactive System based on Net Metering) Regulations, 2019

(c) Joint Electricity Regulatory Commission (Consumer Grievances Redressal Forum and Ombudsman) Regulations, 2019

Following Regulations were amended:-

(a) Joint Electricity Regulatory Commission (Electricity Supply Code) First amendment Regulations, 2019

(b) Joint Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Fifth amendment Regulations, 2019

2.2 DETERMINATION OF TARIFF AND ANNUAL REVENUE REQUIREMENT FOR FY 2020-21

During the year, the Commission issued Tariff Orders comprising truing up for previous years, Annual Performance Review for FY 2019-20 and revision of Annual Revenue Requirement (ARR) and determination of tariff for the generation, transmission and distribution utilities under its jurisdiction for FY 2020-21

Tariff Orders could not be issued before 31st March, 2020 due to Nationwide Lockdown w.e.f. 24.03.2020 being in force owing to COVID-19 pandemic. However, the Tariff Orders were issued as soon as the Government of India issued guidelines for resumption of office.

Public Hearing at Lakshadweep on 12th February, 2020

Public Interaction with stakeholders, consumers at Mahe, Puducherry on 12th June, 2020

2.3 IMPORTANT PARAMETERS OF THE ELECTRICITY DISTRIBUTION UTILITIES UNDER JERC JURISDICTION

FY 2019-20

		DISTRIBUTION BETWEEN ELECTRICITY AND UTILITIES						
S. No.	Particulars	Lakshadweep	Andaman & Nicobar Islands	Chandigarh	Daman & Diu	Puducherry	Goa	Dadra & Nagar Haveli
1	No. of Consumers	24505	138423	230830	63992	503685	656531	78893
2	Connected Load (in kW/kVA)	118269	278356	1625136	883353	1439954	2758250	1445876
3	Energy Sales (MUs)	50	265.66	1562.32	2538.27	2649.10	3979.76	6420.75
4.	Revenue Realised from revised tariff (Rs. Crs)	23.71	183.98	904.98	1,046.92	66.15	1,882.97	2,993.57
5.	Revenue from Open Access Charges/FPPCA charges* (Rs. Cr.)	0.00	NA	30.62	119.06	--	-	340.58
6.	Average cost of supply (ACos) (Rs/kwh)	27	26.44	4.80	5.13	5.68	5.56	5.61
7.	Average Tariff (Rs/kwh)	4.74	6.93	5.53	4.12	5.69	4.73	4.66
8.	Aggregate Revenue Requirement (Rs. Crs)	135.13	702.29	749.56	1302.50	1508.94	2212.23	3601.97
9.	Net (Gap)/ Surplus (Rs. cr) for the year	111.42	518.31	(155.42)	136.52	67.10	329.25	225.08
10.	T&D Loss (%)	12.75%	14.34%	9.40%	6.70%	12.50%	10.75%	4.30%
11.	Regional Transmission Loss	-	-	3.69%	3.66%	2.92%	-	3.66%
12.	Average Tariff as percentage of ACoS (%)	17.55%	26.21%	115%	80%	100.1%	85%	83%
13.	Domestic as % ACoS	11.67%	16.72%	97.70%	37%	55.45%	60%	40%
14.	Commercial as % of ACoS	10.04%	33.97%	134.37%	65%	123.76%	100.89%	66%
15.	Industrial as % of ACoS	88.62%	29.05%	117.70%	85%	121.79%	94.24%	84%
16.	Agriculture as % of ACoS	NA	6.85%	60.41%	13%	6.50%	35.79%	14%
17.	Domestic Revenue as % of Total Revenue	49.43%	32.29%	34.08%	3%	16.27%	21.43%	1%
18.	Commercial Revenue as % of Total Revenue	11.42%	19.06%	35%	2%	14.33%	18.19%	0.45%
19.	Industrial Revenue as % of Total Revenue	6.07%	7.32%	23.74%	95%	59.18%	57.79%	98%
20.	Agriculture Revenue as % of Total Revenue	NA	0.11%	0.05%	0.033%	0.14%	0.29%	0.02%

2.4 STATE ADVISORY COMMITTEE MEETINGS

JERC, in terms of Section 87 of the Electricity Act 2003, has constituted a State Advisory Committee to represent the interest of commerce, industry, transport, agriculture, electricity consumers, Non-Government Organizations, education and research. The Committee has mandate to deliberate on the following issues regarding:

i. Major questions of policy;
ii. Matters relating to quality, continuity and extent of service provided by the licensees;
iii. Compliance by licensees with the conditions and requirements of their license;
iv. Protection of consumer interests;
v. Electricity supply and overall standards of performance by utilities.

The Commission organized one SAC meeting (being 15th meeting) during the year on 26.11.2019 at JERC Headquarters, Gurugram.

The following issues were discussed during the SAC Meeting held on 26th November 2019:

- Recent Initiatives by JERC
- Key Challenges in RPO Compliance for the Union Territories
- RPO requirements to be met by Industries specific to Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu
- Effectiveness of Regulations on Standard of Performance (SOP) for Distribution Licensees

15th SAC meeting held at JERC premises on 26th November, 2019

2.5 STATUS OF PETITIONS DURING THE FY 2019-20

Petitions as on 1.04.2019	02
Petitions received during the FY 2019-20	14
Total Petitions in FY 2019-20	16
Petitions disposed of during the FY 2019-20	10
Petitions as on 31.03.2020	6

The details of the Petitions pending as on 31.03.2020 are as under: -

Petition No.	Subject Matter of the Petition	Petitioner	Respondents
61/2012 (Suo-Moto)	Compliance of JERC (For the State of Goa and Union Territories) (Procurement of Renewable Energy) Regulations, 2010 regarding Renewable Purchase Obligation (RPO) and as amended from time to time.	Suo-Moto	All distribution licensees
77/2012 (Suo-Moto)	Status of Consumer Metering upto FY 2020-21 as per Regulations 8 of JERC (Electricity Supply Code) Regulations, 2010 and as amended from time to time	Suo-Moto	All distribution licensees
14/2019	Power Sale Agreement for sale of 40 MW Wind Power on Long Term Basis	Ed-Chandigarh	Solar Energy Corporation of India
15/2019 (Suo-Moto)	Compliance of JERC (Procurement of Renewable Energy) Regulations, 2016 (Third Amendment) reg Renewable Purchase Obligations (RPO)	Suo-Moto	ED-DNH & ED-Daman & DIu
26/2019	Petition under Sections 86 (1) (e) of the Electricity Act, 2003 read with Regulation 5 (ii) and Regulations 17 of JERC (Solar PV Grid Interactive System) 2019 imploring this Hon'ble Commission to grant approval for signing the Open Access Agreement and to direct the Respondent to exempt the Petitioner from Open Access Regulations and associates charges including losses, by exercising its power to relax envisaged under the above regulations.	M/s Waaree Pvt. Technologies Pvt. Ltd.	Electricity Department Puducherry
28/2019	Petition in respect of Signing of Power Sale Agreement (PSA) under 2000 MW ISTC Tranche – IV for 50 MW of Wind Power with SECI.	DNH Power Distribution Corporation Ltd., Puducherry	Solar Energy Corporation of India

2.6 ADJUDICATION OF DISPUTES AND DIFFERENCES

The Preamble to the Electricity Act, 2003 makes specific mention of protecting the interest of consumers. Further, Section 42(5) of the Act provides for establishment of a Forum for Redressal of Grievances of Consumers by every distribution licensee, in accordance with the guidelines as may be specified by the Commission. Further, Sub-section (6) of Section 42 of the Act, provides for the establishment of an authority known as Ombudsman to be appointed or designated by the Commission. Any consumer of electricity who is aggrieved by non- redressal of his/ her grievance under Sub- section (5) can make a representation for redressal of his grievance to the Ombudsman.

The Joint Electricity Regulatory Commission (JERC) for Goa and UTs, has notified the regulations known as "JERC (Consumer Grievance Redressal Forum and Ombudsman) Regulations, 2019 by repealing the existing JERC (Establishment of Forum for Redressal of Grievances of Consumers) Regulations, 2009 & its amendments and "JERC (Appointment and Functioning of Ombudsman) Regulations, 2009" & its amendments. These are applicable in the State of Goa and UTs of Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu, Lakshadweep and Puducherry. They provide the procedures and guidelines to be followed in redressal of consumers' grievances. These Regulations are available on the website of the Commission.

ESTABLISHMENT OF CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM

Consumer Grievances Redressal Forums (CGRFs) established by Distribution Licensees/ Electricity Departments in the State of Goa and UTs for redressal of grievances of electricity consumers, are currently functional in all the territories, the details of which are given in Annexure-1.

Each CGRF has the jurisdiction to entertain the complaints/ grievances of consumers with respect to electricity services provided by its distribution licensee/ Electricity Department, except those arising under Section 126 and 127 (unauthorized use of electricity), Section 135 to 139 (theft of electricity and offences and penalties thereof), and Section 161 (notice of accident etc) under the Electricity Act, 2003.

Model procedures for filing the complaints by consumers have been made available to all CGRFs and are also available on the JERC website. CGRFs have been advised to create awareness among consumers about the procedures for redressal of grievances as laid down by them and give wide publicity to the same by way of display on notice board at various bill collection centres and sub- divisional/ divisional offices of the licensees, as well as on their websites. It has been advised that copies of the model procedures shall also be kept ready in the offices of CGRFs and licensees so that consumers of electricity, if they wish so, for their information or knowledge, can collect it without any hindrance.

Grievances settled by all CGRFs during the year 2019-20 are as tabulated below:

1. Goa

No. of grievances outstanding at the close of the previous quarter	No. of grievances received during the year	Total No. of grievances in the year	No. of grievances disposed during the year	No. of grievances pending at the close of the year	No. of grievances pending which are older than two months	No. of sittings of CGRF in the year
12	**37**	**49**	**44**	**05**	**0**	**25**

2.Chandigarh

No. of grievances outstanding at the close of the previous quarter	No. of grievances received during the year	Total No. of grievances in the year	No. of grievances disposed during the year	No. of grievances pending at the close of the year	No. of grievances pending which are older than two months	No. of sittings of CGRF in the year
19	**192**	**211**	**197**	**14**	**03**	**47**

3.Andaman & Nicobar

No. of grievances outstanding at the close of the previous quarter	No. of grievances received during the year	Total No. of grievances in the year	No. of grievances disposed during the year	No. of grievances pending at the close of the year	No. of grievances pending which are older than two months	No. of sittings of CGRF in the year
04	**43**	**47**	**45**	**02**	**02**	**166**

4. Lakshadweep

No. of grievances outstanding at the close of the previous quarter	No. of grievances received during the year	Total No. of grievances in the year	No. of grievances disposed during the year	No. of grievances pending at the close of the year	No. of grievances pending which are older than two months	No. of sittings of CGRF in the year
0	**5**	**5**	**4**	**1**	**1**	**4**

5. Daman & Diu

No. of grievances outstanding at the close of the previous quarter	No. of grievances received during the year	Total No. of grievances in the year	No. of grievances disposed during the year	No. of grievances pending at the close of the year	No. of grievances pending which are older than two months	No. of sittings of CGRF in the year
09	**04**	**13**	**02**	**11**	**10**	**05**

6.Puducherry

No. of grievances outstanding at the close of the previous quarter	No. of grievances received during the year	Total No. of grievances in the year	No. of grievances disposed during the year	No. of grievances pending at the close of the year	No. of grievances pending which are older than two months	No. of sittings of CGRF in the year
14	**68**	**82**	**69**	**13**	**0**	**66**

7. Dadra & Nagar Haveli

No. of grievances outstanding at the close of the previous quarter	No. of grievances received during the year	Total No. of grievances in the year	No. of grievances disposed during the year	No. of grievances pending at the close of the year	No. of grievances pending which are older than two months	No. of sittings of CGRF in the year
01	**12**	**13**	**12**	**01**	**0**	**10**

ELECTRICITY OMBUDSMAN

The Commission has appointed an Electricity Ombudsman, a Statutory Authority for the State of Goa and UTs having jurisdiction in the State of Goa and UTs of Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Daman & Diu, Lakshadweep and Puducherry. Any consumer aggrieved by non- redressal of his complaint or grievance by CGRF has the option to make a representation for redressal of his/ her grievance or dispute to the Ombudsman.
The Ombudsman, in the first instance, endeavours to settle the dispute by mutual agreement between the complainant and the licensee through reconciliation or mediation, failing which it decides the matter in dispute based on the pleadings of the parties concerned i.e., the consumer and the licensee department.

Detailed procedure for submitting a representation to the Ombudsman has been laid down and displayed on the website of the Commission. This has also been sent to CGRFs and licensees for giving wide publicity.

During the year 2019-20, a total of 18 representations/appeals (with pendency of 1 appeal) were admitted before the Electricity Ombudsman by the electricity consumers of the State of Goa and UTs of Chandigarh and Puducherry. Out of total 18 appeals, 14 no. of appeals were disposed of in the FY 2019-20.

No. of grievances outstanding at the close of the previous quarter	No. of grievances received during the year	Total No. of grievances in the year	No. of grievances disposed during the year	No. of grievances pending at the close of the year	No. of grievances pending which are older than two months	No. of sittings of CGRF in the year
01	**17**	**18**	**14**	**04**	**0**	**7**

3. ANNUAL ACCOUNTS OF THE COMMISSION FOR FY 2019-20 (Provisional. to be audited by CAG)

3.1 Statement of Receipt and Expenditure

Sl. No.	Particulars	Income (Rs. Lakhs)	Expenditure (Rs. Lakhs)
	Balance in hand B/F	71.05	
A	Income:		
	By Grants/Loans/Subsidies		
	From Govt. of India (Grant-in-aid)		
	Grant-in-aid received vide sanction no. & dated		
	i. 47/1/15-R&R dt. 29/05/2019	187.00	—
	ii. 47/1/15-R&R dt. 29/08/2019	212.00	—
	iii. 47/1/15-R&R dt. 25/10/2019	232.00	
	iv. 47/1/15-R&R dt. 03/02/2020	235.00	—
	Total	**866.00**	
	v. Contribution/subscription received from FOR	7.00	
	By Royalty, Publications etc.	—	
	vi Reimbursement of Ombudsman **expenditure from distribution licensees**	16.87	
B	**Expenditure:**		
1.	Salaries (Chairman & Member of the Commission)	—	55.22
2.	Salaries (Officers and Establishments)	—	182.23
3.	Payments for Professionals and Others Services.		
	(a) Professional		130.97
	(b) Other Services		81.87
	(i) Outsourcing of personnel 72.09		
	(ii) Outsourcing for Housekeeping job 7.17		
	(iii) Outsourcing for security personnel 6.05		
4.	Domestic Travel		49.99
5.	Foreign Travel		--
6.	CPF*		8.55
7.	Electricity & Power	—	10.44

8.	Rent Rate & Taxes	__	250.59
9.	Vehicles (Hiring of Vehicles)	__	16.86
10.	Postage, Telephones& Communication Charges.	__	5.24
11.	Printing and stationery	__	13.96
12.	Subscription to FOR/ FOIR etc.	__	14.25
13.	Seminar and Conferences	__	31.65
14.	Legal Fee	__	5.35
15.	Advertising & Publication	__	7.60
16.	Others : a) Office Expenses b) Bank Charges c) Miscellaneous -----	 __	 42.38 0.03
17.	Machinery & Equipment	__	
18.	Furniture & Fixture	__	5.47
19.	Expenditure on Ombudsman	__	36.82
	TOTAL	960.92	**958.92**
	Balance	__	**2.00**
	Total	**960.92**	**960.92**

*CPF in respect of Chairperson and Member

Details of receipts of various fee are as below:-

I. Collection of Annual License Fee from licensees:

The details for the collection of Annual Licensee Fee is as mentioned in the table below:

S.No.	Date of Receipt	Financial Year	State/UT/Other	Amount (In rupees)
1.	25.06.2019	2019-20	Electricity Departmen t-Andaman Nicobar Islands	29,55,500/-
2.	05.07.2019	2019-20	Electricity Department-Chandigarh	1,06,31,000/-
3.	02.08.2019	2019-20	Electricity Department-Daman & Diu	1,09,80,000/-
4.	17.05.2019	2019-20	Electricity Department-Lakshadweep	2,27,494/-
5.	05.09.2019	2019-20	Electricity Department-Dadra and Nagar Haveli (Transmission)	12,94,000/-
6.	21.02.2020	2020-21	Electricity Department-Puducherry (Transmission Division)	11,75,000/-
7.	21.02.2020	2020-21	Electricity Department-Puducherry	2,29,61,700/-
			Total	**5,02,24,694/-**
(Rupees Five Crores Two Lakhs Twenty-Four Thousand Six Hundred and Ninety Four only)				

II. Petition fee received during the year

A total of Rs. 3,09,29,339/- (Rupees Three Crores Nine Lakh Twenty-Nine Thousand Three Hundred and thirty nine only) was received as Petition/Miscellaneous fee in FY 2019-20. The details of petition fee received are given in Annexure-3.

4. DETAILS OF INFORMATION UNDER THE RTI ACT, 2005

Secretary, Shri Rakesh Kumar, JERC is the first appellate authority under the RTI Act, 2005. Shri Rajesh Dangi, Director (Engineering) was designated as the Public Information Officer of the Commission. The number of applications received and disposed off during the financial year is as under:-

Applications Received	14
Applications disposed off	14
Applications wherein information denied	Nil

5. PLAN FOR FINANCIAL YEAR 2020-21

5.1 Annual Revenue Requirements and determination of tariff

The Commission shall take up the Petitions for True ups for previous years, Annual Performance Review of FY 2020-21 and determination of tariff for FY 2021-22 for the seven distribution licensees under its jurisdiction and issue the Tariff Orders after following the laid down procedure.

5.2 Generation & Transmission Tariff Orders

The Generation Tariff Order for Puducherry Power Corporation Limited and Transmission Tariff Order for Electricity Department-Dadra & Nagar Haveli shall also be issued as per procedure for FY 2020-21.

5.3 Amendment in Regulations

The Regulations will be reviewed and amendments issued during the financial year, as per requirement.

5.4 State Advisory Committee Meetings

Meetings of the State Advisory Committee are being planned in terms of provisions of JERC (State Advisory Committee), Regulation 2009. Two meetings of the Committee are scheduled to be held in the FY 2020-21.

5.5 Implementation of E-office

The Commission is in the process of implementation of E-office in order to enhance the transparency in work and assure data security and integrity. E-office implementation will bring out a positive change in the work culture with increased productive procedures.

Annexure-1

Sl. No.	Name of the CGRF	Name of Member	Designation	Office Address	Contact No.	E-mail
1.	Goa	1. Shri Desmond D. Costa (upto 06.02.2020) 2. Vacant 3. Smt. Sandra Vaz e Correia	Chairperson Member Independent Member	Vidyut Bhavan, 4th Floor, Near KTC Stand, Mundvel, Vasco, Goa-403802	09422063637	cgrfgoa@yahoo.com adv.sandracorreia@gmail.com
2.	Andaman & Nicobar Islands	1. Shri K.G. Ravindran 2. Vacant 3. Sh. Basudev Dass	Chairperson Member Independent Member	No. EL/03 & 04, Horticulture Road, Haddo (PO), Port Blair-744102	09434266970 03192-244822(O) 09679507141	Cgrf.and@nic.in andcgrf@rediffmail.com
3.	Chandigarh	1. Sh. R.K. Sahi 2. Sh. Rajinder More 3. Sh. Jaswinder Singh Sidhu	Chairperson Member Independent Member	Old B&R Building, Adjacent to office of Haryana Tax Tribunal, Sector-19	9646118108 0172-2542012 (O)	chairmancgrf@gmail.com
4.	Daman & Diu	1. Vacant 2. Shri Bharat Ratilal Icecreamwala 3. Dr. Habib Shakurbhai Mansuri	Chairperson Member Independent Member	B, Chandigarh Power House Building, Sea Facing road, Nani, Daman-396210	09872318618 9016333415	bricecreamwala@gmail.com
5.	Dadra & Nagar Haveli	1. Sh. Natwar Bhai Patel 2. Sh. Sunil Izari 3. Vacant	Chairperson Independent Member Member	Electricity Department, Dadra & Nagar Haveli 66 KV substation, Amli Road, Silvassa-396230	09824106776	chairperson-cgrf@rediffmail.com
6.	Lakshad weep	1. Sh. K.K. Kunhikrishnan (upto 30.11.2019) 2 Smt. Sunidha Ismail KRB 3.Vacant	Chairperson Independent Member Member	CGRF for Electricity, Near Power House, Kavaratti, UT of Lakshadweep -682555.	9496196167	Lk-ktelect@nic.in Ssunidha766@gmail.com
7.	Puducherry	1. Sh. K. Ramasubramanian 2. Sh. A.S. Jitendra Rao 3. Sh. R.Krishnamurthy	Chairperson Member Independent Member	No.6, 17th Cross Street, Anna Nagar, Puducherry-605 005	9961848808 04132201351 04132201451	cgrfpon@gmail.com

Annexure-2

DETAILS OF PUBLIC HEARINGS/OTHER HEARINGS CONDUCTED BY THE COMMISSION DURING FY 2019-20

S.No	Petition No.	Petitioner	Particulars of Petition	Date of Hearing
1.	Suo Moto-61/2012	All distribution licensees	In the matter of Status of consumer Metering and Billing (Category wise) as per Regulations 8 of the JERC (Electricity Supply Code) Regulations, 2010 and as amended from time to time	27.05.2019
2.	Suo Moto-77/2012	All distribution licensees	In the matter of Compliance of Joint Electricity Regulatory Commission for the State (of Goa and Union Territories) (Procurement of Renewable Energy) Regulations, 2010 regarding Renewable Purchase Obligation (RPO.).	27.05.2019
3.	275/2019	DNHPDCL	In the matter of seeking review of tariff order dated 20.05.2019 for FY 2019-20 in Petition No. 270/2018 filed by DNHPDCL	19.08.2019
4.	Suo Moto-15/2019	ED-Daman & Diu and ED-Dadra and Nagar Haveli	Compliance of Joint Electricity Regulatory Commission (for the State of Goa & UTs) (Procurement of Renewable Energy) Regulations, 2016 (Third Amendment) regarding Renewable Puchase Obligation (RPO).	04.12.2019
5.	14/2019	ED-Chandigarh	In the matter of Petition for seeking approval of Power Sale Agreement for Sale of 40 MW Wind Power on long term basis	16.03.2020
6.	26/2019	M/s Waaree PV Techonologies Pvt. Ltd, Mumbai	Petition under Sections 86 (1) (e) of the Electricity Act, 2003 read with Regulation 5 (ii) and Regulations 17 of JERC (Solar PV Grid Interactive System) 2019 imploring this Hon'ble Commission to grant approval for signing the Open Access Agreement and to direct the Respondent to exempt the Petitioner from Open Access Regulations and associates charges including losses, by exercising its power to relax envisaged under the above regulations.	16.03.2020

S.No	Petition No.	Petitioner	Particulars of Petition	Date of Hearing
7.	21/2019	ED-Goa	In the matter of True-up of the FY 2015-16, Aggregate Revenue Requirements (ARR) and Determination of Retail Tariff for the FY 2020-21 For Electricity Department, Government of Goa (EDG)	05.02.2020
8.	18/2019	ED-DNH (Transmission)	In the matter of True-up of FY 2018-19, Annual Performance Review of FY 2019-20, Aggregate Revenue Requirements (ARR) and Determination of Transmission Tariff for FY 2020-21 for Electricity Department, Transmission Division, Dadra and Nagar Haveli	21.01.2020
9.	17/2019	ED-Chandigarh	In the matter of True-up of the FY 2018-19, Annual Performance Review of the FY 2019-20, Aggregate Revenue Requirement (ARR) and Determination of Retail Tariff for the FY 2020-21 For Electricity Wing of Engineering Department, Chandigarh (EWEDC)	25.02.2020
10.	19/2019	DNHPDCL	In the matter of True-up of FY 2018-19, Annual Performance Review of FY 2019-20, Aggregate Revenue Requirements (ARR) and Determination of Retail Tariff for FY 2020-21 , For DNH Power Distribution Corporation Limited	21.01.2020
11.	22/2019	ED-Daman & Diu	In the matter of True-up of FY 2018-19, Annual Performance Review of FY 2019-20 and Approval of Aggregate Revenue Requirements (ARR) and Determination of Retail Tariff for FY 2020-21 for Electricity Department Daman & Diu	21.01.2020 and 29.01.2020

S.No	Petition No.	Petitioner	Particulars of Petition	Date of Hearing
12.	16/2019	PPCL	In the matter of True-up of the FY 2017-18, Aggregate Revenue Requirement (ARR) and Determination of Generation Tariff for the FY 2020-21 For Puducherry Power Corporation Limited (PPCL)	08.01.2020
13.	20/2019	ED-Puducherry	In the matter of True-up for FY 2017-18 and FY 2018-19, Annual Performance Review for FY 2019-20 and Aggregate Revenue Requirement (ARR) and Determination of Retail Tariff for the FY 2020-21 For Electricity Department, Government of Puducherry (PED)	07.01.2020
14.	24/2019	ED-Lakshadweep	In the matter of True-up for FY 2015-16 and FY 2016-17, Annual Performance Review for FY 2019-20 and Aggregate Revenue Requirement (ARR) and Determination of Retail Tariff for the FY 2020-21 For Lakshadweep Electricity Department (LED)	12.02.2020 and 13.02.2020
15.	23/2019	ED-Andaman & Nicobar Islands	In the matter of True-up for FY 2016-17 APR for 2019-20 and ARR and Determination of Retail Tariff for FY 2020-21	02.03.2020 and 04.03.2020

Annexure-3

PETITION FEES RECEIVED DURING FY 2019-20

S.No	Date of Receipt	Petitioner/Electricity Department (ED)	Subject matter of petition	Amount (in rupees)
1.	30.04.2019	Petitioner	Misc. fee	598/-
2	05.07.2019	DNHPDCL	Fee for filing review petition against Order dated 20.05.2019	6,29,688/-
3.	27.09.2019	ED-Chandigarh	Fee for filing Petition in respect of Signing of Power Sale Agreement under 2000 MW ISTC Tranche-IV for 40 MW of Wind Power with SECI	20,000/-
4.	19.10.2019	M/s Krishna Datta Multani	Fee for providing certified copy of Order dated 20.05.2019	1920/-
5.	08.11.2019	ED-Chandigarh	Balance fee for filing Petition in respect of Signing of Power Sale Agreement under 2000 MW ISTC Tranche-IV for 40MW of Wind Power with SECI	4,80,000/-
6.	02.12.2019	ED-Puducherry	Fee for filing ARR and Tariff Petition for FY 2020-21	47,13,750/-
7.	03.12.2019	DNH (Transmission)	Fee for filing ARR and Tariff Determination for FY 2020-21	20,00,000/-
8.	03.12.2019	ED-Andaman & Nicobar Islands	Fee for filing ARR and Tariff Determination for FY 2020-21	10,00,000/-
9.	05.12.2019	PPCL	Fee for filing tariff petition for 32.5 MW Gas Power Station for FY 2020-21	15,00,000/-
10.	06.12.2019	ED-Daman & Diu	Fee for filing ARR and Tariff Determination for FY 2020-21	33,04,938/-
11.	07.12.2019	ED-Chandigarh	Fee for filing ARR and Tariff Determination for FY 2020-21	19,53,150/-
12.	10.12.2019	ED-Lakshadweep	Fee for filing ARR and Tariff Determination for FY 2020-21	10,00,000/-
13.	17.12.2019	ED-Goa	Fee for filing ARR and Tariff Determination for FY 2020-21	54,24,188/-
14.	19.12.2019	DNHPDCL	Fee for filing ARR and Tariff Determination for FY 2020-21	83,83,625/-
15.	12.02.2020	M/s Waaree PV Technologies Pvt. Ltd.	Fee for filing Petition for grant approval of Open Access agreement	5,00,000/-
16.	18.03.2020	DNHPDCL	Fee for filing Petition in respect of Signing of Power Sale Agreement under 2000 MW ISTC Tranche-IV for 50 MW of Wind Power with SEC	20,000/-
			Total	**3,09,29,339/-**

Annexure-4

LIST OF NOTIFIED REGULATIONS AS ON 31.03.2020

S.No.	Notification No.	Regulation Title	Date of Notification
1.	JERC-01/2009	(Conduct of Business) Regulations-2009	30.07.2009
		• First Amendment Regulations-2013	• 30.04.2013
		• Second Amendment Regulations-2013	• 11.10.2013
		• Third Amendment Regulations-2014	• 15.05.2014
		• Fourth Amendment Regulations-2015	• 11.02.2015
		• Fifth Amendment Regulations-2019	• 11.09.2019
2.	JERC-02/2009	Recruitment, Control and Service Conditions of Officers and Staff Regulations-2009	30.07.2009
3.	JERC-03/2009	Appointment and Functioning of Ombudsman Regulations-2009	31.07.2009
		• First Amendment Regulations-2013	• 04.04.2013
		• Second Amendment Regulations-2015	• 01.01.2015
		• Third Amendment Regulations-2017 (REPEALED)	• 12.06.2017
4.	JERC-04/2009	Establishment of Forum for Redressal of Grievances of Consumers Regulations-2009	31.07.2009
		• First Amendment Regulations-2013	• 25.03.2013
		• Second Amendment Regulations-2015 (REPEALED)	• 30.01.2015
5.	JERC-05/2009	(Treatment of Other Businesses of Transmission Licensees and Distribution Licensees)	18.12.2009
		• First Amendment Regulations-2016	• 19.10.2016
6.	JERC-06/2009	Standard of Performance Regulations-2009 (REPEALED)	18.12.2009
7.	JERC-07/2009	State Advisory Committee Regulations-2009	18.12.2009
		• First Amendment Regulations-2015	• 21.01.2015
8.	JERC-8/2009	Appointment of Consultants Regulations-2009	11.02.2010
9.	JERC-9/2009	Open Access in Transmission and Distribution Regulations-2009	11.02.2010
10.	JERC-10/2009	Terms and Conditions for Determination of Tariff Regulations-2009 (REPEALED)	08.02.2010
11.	JERC-11/2010	Electricity Supply Code Regulations-2010 (REPEALED)	20.05.2010
12.	JERC-12/2010	State Grid Code Regulations-2010	07.08.2010

S.No.	Notification No.	Regulation Title	Date of Notification
13.	JERC-13/2010	Electricity Trading Regulations-2010	31.08.2010
14.	JERC-14/2010	Procurement of Renewable Energy Regulations-2010 • First Amendment Regulations-2014 • Second Amendment Regulations-2015 • Third Amendment Regulations-2016	30.11.2010 • 19.02.2014 • 22.12.2015 • 22.08.2016
15.	JERC-15/2010	Distribution Code Regulations-2010	11.08.2010
16.	JERC-16/2013	Procedure for filing appeal before the Appellate Authority Regulations-2013	29.04.2013
17.	JERC-17/2014	Demand Side Management Regulations-2014	24.06.2014
18.	JERC-18/2014	Multi Year Distribution Tariff Regulations-2014 (REPEALED)	30.06.2014
19.	JERC-19/2015	Solar Power - Grid Connected Ground Mounted and Solar Rooftop and Metering Regulations-2015 (REPEALED)	15.05.2015
20.	JERC-20/2015	Standard of Performance for Distribution Licensees Regulation-2015	24.07.2015
21.	JERC-21/2017	Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution Regulations-2017	14.03.2018
22.	JERC-22/2018	(Generation, Transmission and Distribution Multi Year Tariff) Regulations, 2018	10.08.2018
23.	JERC-23/2018	Electricity Supply Code Regulations-2018 • First Amendment Regulations-2019	26.11.2018 • 25.03.2019
24.	JERC-24/2019	Solar PV Grid Interactive System based on Net Metering Regulations-2019	24.07.2019
25.	JERC-25/2019	Terms and Conditions for Tariff determination from Renewable Energy Sources Regulations-2019	24.07.2019
26.	JERC-26/2019	Consumer Grievances Redressal Forum and Ombudsman Regulations-2019	11.09.2019

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)

(For the state of Goa and Union Territories)

तीसरी एवं चौथी मंजिल, प्लॉट नं0 55–56, सेक्टर–18,
उद्योग विहार फेस–IV गुरूग्राम–122015 (हरियाणा)
ई–मेल: secy.jercuts@gov.in • वेबसाइट: www.jercuts.gov.in

3rd & 4th Floor, Plot No.55-56, Sector-18,
Udyog Vihar Phase-IV, Gurugram-122015 (Haryana)
Website: www.jercuts.gov.in • E-mail: secy.jercuts@gov.in

Design/Print • TIMES 9 TO 9 # 9971570446